रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 13 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 22, 1943 शक संवत्) [संख्या 46

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	813–822	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1525–1562	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	71–90	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	811–823	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

25 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 294/दो-4-2021-15(2)/2014—उपनिबंधक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 4376/IV-3506/Admin. (A), दिनांक 24 मार्च, 2021 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री रजत सिंह जैन, एच0जे0एस0, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद एटा के स्थान पर कासगंज परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

सं0 544/दो-4-2021-15(2)/2014—उपनिबंधक (एम), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 8955/IV-3607/Admin. (A), दिनांक 29 जुलाई, 2021 के क्रम में मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के प्रस्तर-31 के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त श्री रोहित सिंह तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर सम्प्रति गोरखपुर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद लखनऊ के स्थान पर उन्नाव परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

28 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 649/दो-4-2021-26/2(5)/2011—उपनिबंधक (एम)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	मीनाक्षी सिन्हा, सिविल जज (जू0डि0), गौतमबुद्ध नगर सम्प्रति सिविल जज (जू0डि0), फिरोजाबाद	संख्या 10991/IV-3990/एडमिन, दिनांक 01-09-2021	दि ग्लोबल ओपन यूनीर्वसिटी, नागालैण्ड	एल0एल0एम0	2013
2	अर्जित वर्मा, एडिशनल सिविल जज (जू0डि0), लखनऊ	संख्या 10776/IV-5205/एडमिन, (ए-1), दिनांक 07-09-2021	डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्व-विद्यालय	एल0एल0एम0	2019
3	सईद हसन, (से0नि0एच0 जे0एस0), चित्रकूट जजशिप	संख्या 11116/IV-1647/एडमिन, (ए-1), दिनांक 15-09-2021	मेरठ विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	1979

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1229/21-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश बिन्दल, मा0 न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

सं0 1230/21-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–(1) श्री चन्द्र कुमार राय (2) श्री कृष्ण पहल (3) श्री समीर जैन (4) श्री आशुतोष श्रीवास्तव (5) श्री सुभाष विद्यार्थी (6) श्री बृज राज सिंह (7) श्री श्रीप्रकाश सिंह एवं (8) श्री विकास बुधवार, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

27 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1254/21-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

22 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1024/छः पु0से0-2-2021-522(39)/15–अखिले भारतीय सेवा के अधिकारियों को संतान शिक्षा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में छठें वेतन आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य किये जाने वाले संशोधनों/स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देशों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या 700डीजी/छः पु0से0-2-2015-522(39)/15, दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा प्रदेश सरकार के अन्तर्गत कार्यरत अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को संतान शिक्षा भत्ता का लाभ अनुमन्य किया गया है।

2–वर्तमान में भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-27012/02/2017-स्था(भत्ता) दिनांक 16 अगस्त, 2017 द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संतान शिक्षा भत्ता का लाभ प्रदान किया गया है।

3–अतएव भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-27012/02/2017-स्था (भत्ता), दिनांक 16 अगस्त, 2017 द्वारा लागू की गयी वर्तमान संतान शिक्षा भत्ता योजना को निर्धारित शर्तों/दिशा-निर्देशों के अधीन अंगीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुये श्री राज्यपाल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये इसे तात्कालिक प्रभाव से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

4–यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या जी-1-102यू0ओ0/दस-2021, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

संशोधन

18 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 2219/आठ-8-2021-09एलयूसी/2021–चूंकि राज्य सरकार बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली महायोजना, 2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र "अमृत विचार" तथा "राष्ट्रीय सहारा" के संस्करण में दिनांक 29 अगस्त, 2021 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विर्निदिष्ट समय के अन्र जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्टपति अधिनियम, (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, बरेली विकास क्षेत्रान्तर्गत, बरेली महायोजना, 2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	बरेली महायोजना-2021 में वर्णित भू-उपयोग	परिवर्तित भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6
			(वर्ग मी0 में)		
1	हंजियापुर	210	19650	आवासीय	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें
2	"	211	2530	"	"
3	"	212/2	630	"	"
	कुल योग. . 03 गाटा		22810		

आज्ञा से,
अजय चौहान,
सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय-ज्ञाप

21 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 83/2021/3417/23-3-2021-11(ईएस)/2021—तात्कालिक प्रभाव से श्री मन्नी लाल यादव, अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2—श्री मन्नी लाल यादव, अधीक्षण अभियन्ता तत्काल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,
गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव।

अनुभाग-8

25 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1732/23-8-2021-59(पी0डब्लू0)अधि0/2020—श्री राजीव कुमार राय, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद को तत्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (मुख्यालय) से सम्बद्ध किया जाता है।

2—श्री राजीव कुमार राय, अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये सम्बद्धता स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
अच्युतानन्द,
अनुसचिव।

अनुभाग-11

26 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 478/2021/96(8)23-11-2021-20(8)/2020—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11/1/2021-M & G, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 द्वारा दी गयी अनापति के क्रम में जनपद अयोध्या में स्थित "फैजाबाद रेलवे जंक्शन" का नाम निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष परिवर्तित करते हैं—

वर्तमान नाम	रोमन लिपि में परिवर्तित नये नाम की वर्तनी	देवनागरी लिपि में परिवर्तित नये नाम की वर्तनी
Faizabad Railway Junction	AYODHYA CANTT	अयोध्या कैन्ट

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 478/2021/96(8)/23-11-2021,** dated October 26, 2021 for general information :

NOTIFICATION

No. 478/2021/96(8)/23-11-2021

Lucknow : dated, *October* 26, 2021

The Governor of Uttar Pradesh is pleased to change the name of the railway station situated in district Ayodhya Uttar Pradesh as per following schedule from the date of issuance of this notification, As per no objection received vide Ministry of Home Affairs, Government of India's letter No. 11/1/2021-M & G, dated September 27, 2021.

SCHEDULE

Existing Name	Spelling of the New Name of Railway Station in Roman Script	Spelling of the New Name of Railway Station in Devnagri Script
Faizabad Railway Junction	AYODHYA CANTT	अयोध्या कैन्ट

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Principal Secretary.

समाज कल्याण विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

21 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1834/26-1-2021-स0क0-1–राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने विषयक श्री जलज मिश्र, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी लखनऊ के प्रार्थना-पत्र/नोटिस दिनांक 29 अप्रैल, 2021 एवं 09 सितम्बर, 2021 पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 के सुसंगत प्राविधानों एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत श्री जलज मिश्र, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी लखनऊ को दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के अपरान्ह से राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (सेवा निवृत्तिक लाभ) प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनकी सेवा की गणना दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 तक की जायेगी एवं तद्नुसार उन्हें समस्त अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ दये होंगे।

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

27 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 745/18-1-21-25(43)/2016टी0सी0-1–कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित

राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती का स्थान/जनपद
1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री–	
1	आयुषी बरनवाल	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशाल, उ0प्र0 कानपुर, सम्बद्ध ओ0डी0ओ0पी0 सेल, निर्यात ब्यूरो लखनऊ
2	रोहित सिंह	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, ललितपुर

2–कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/ 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के क्रम में उक्त अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उनके स्वः सत्यापन-पत्र एवं स्वः घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धित नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3–उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त उनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा। उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुंसगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

सं0 885/18-1-21-25(43)/2016टी0सी0-1–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर संस्तुत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती का स्थान/जनपद
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–	
1	श्वेता मिश्रा	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, कौशाम्बी
2	रिद्धि बगारिया	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, फिरोजाबाद
3	शिवेन्द्र प्रताप सिंह	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, लखीमपुर खीरी
4	वत्स कृष्णा	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, आगरा
5	राजमन	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, अलीगढ़
6	अलका वर्मा	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, बुलन्दशहर

1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री–	
7	ज्ञानेश्वर प्रसाद	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, हरदोई
8	सोनाली सिंह	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, फर्रूखाबाद
9	रवि वर्मा	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, हमीरपुर
10	रामशरन	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, इटावा
11	स्वीटी उपाध्याय	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, बागपत
12	ज्येति त्यागी	जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, सहारनपुर
13	राजकुमार तोमर	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर, सम्बद्ध निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों लखनऊ।

2–उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त उनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा। उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुंसगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

27 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1181/81-1-2021-33/2016–भारतीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी तालिका के कालम-5 में उल्लिखित तिथि से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री –			
1	राजेन्द्र कुमार सिंह	मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	05-01-1962	31-01-2022
2	पवन कुमार शर्मा	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0, लखनऊ	26-01-1962	31-01-2022
3	पंकज मिश्रा	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित), उ0प्र0, लखनऊ	30-01-1962	31-01-2022

1	2	3	4	5
	सर्वश्री –			
4	आलोक कुमार श्रीवास्तव	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ	01-02-1962	31-01-2022
5	बाबू राम अहिरवार	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज	01-03-1962	28-02-2022
6	जावेद अख्तर	वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त, बरेली	19-04-1962	30-04-2022
7	एम0आर0पी0 राव	मुख्य वन संरक्षक, सम्बद्ध कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ	10-05-1962	31-05-2022
8	संजय सिंह	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ	26-05-1962	31-05-2022
9	मुकेश कुमार	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ	02-06-1962	30-06-2022
10	आदित्य कुमार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ	30-06-1962	30-06-2022
11	नरेन्द्र कुमार सिंह	वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त बांदा	01-07-1962	30-06-2022
12	अवनि कुमार	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जलागम प्रबन्ध/ग्रीन इंडिया मिशन, लखनऊ	10-08-1962	31-08-2022
13	विश्वजीत बनर्जी	संयुक्त सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली	09-10-1962	31-10-2022

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

राजस्व विभाग

अनुभाग-8

सेवानिवृत्ति

21 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1355/एक-8-2021–चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 341/ई0-123/2018-19 (सेवा0नि0), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कालम-4 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जन्म-तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	4	5
	सर्वश्री –		
1	ब्रजेश कुमार शुक्ल, संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय लखनऊ	01-03-1962	28-02-2022

1	2	4	5
	सर्वश्री –		
2	राधेश्याम सिंह, उप संचालक चकबन्दी, प्रयागराज	12-01-1962	31-01-2022
3	शोभनाथ वर्मा, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बहराइच	16-02-1962	28-02-2022
4	जनार्दन प्रसाद, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, रामपुर	12-02-1962	28-02-2022
5	प्रेमचन्द्र द्विवेदी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बरेली	15-02-1962	28-02-2022

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

परिवहन विभाग

अनुभाग-3

प्रोन्नति

21 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 154/2021/2483/तीस-3-21-75जीई/2017–परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री संजीव कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-252), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, व ग्रेड वेतन रु0 5,400) को नियमित चयनोपरान्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु0 6,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री सिंह अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर यथावत कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–33 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 22, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

18 अगस्त, 2021 ई0

सं0 2755/मगख-5–उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना के पत्र संख्या 481/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर, दिनांक 18 अगस्त, 2021 की हेडिंग में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के स्थान पर धारा 11 त्रुटिपूर्ण प्रकाशित हो गया है, धारा 11 के स्थान पर धारा 19 शुद्ध रूप में पढ़ा जाये।

ह0 (अस्पष्ट),
जिला कलेक्टर, बिजनौर।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

16 जुलाई, 2021 ई0

सं0 2381/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न-2021-22–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेश कुमार, जिलाधिकारी ललितपुर निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांव-सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	निवारी ग्राम समाज निवारी	393	0.160	5-3-ङ, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सोजना-गुढ़ा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

अन्नावि दिनेश कुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञा

20 जुलाई, 2021 ई0

सं0 420 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979–रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016–20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना के ग्राम गभाना में नव सृजित विकास खण्ड कार्यालय गभाना के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	गभाना	खैर	गभाना	211/8-मि0	1.000	6-4, जो अन्य कारणों से अकृषित ऊसर भूमि	नव सृजित विकास खण्ड कार्यालय गभाना के निर्माण हेतु। ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

29 जून, 2021 ई0

सं0 1388/डी0एल0आर0सी0–उपजिलाधिकारी अनूपशहर की आख्या/प्रस्ताव पत्रांक 1191/र0का0/2021, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र व कस्बा अनूपशहर में बस स्टेशन हेतु प्रस्तावित ग्राम अनूपशहर बांगर स्थित गाटा संख्या 464/3 रकबा 0.481 हे0 में से 0.236 हे0, जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अंकित है, की भूमि का गाटा संख्या 1219/13 रकवा 0.304 हे0 में से 0.290 हे0, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर के रूप में अंकित है, से शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 के प्रस्तर-3 के अनुक्रम में जनहित व राज्यहित में विनिमय के संबंध में अनुमोदन करने हेतु आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिनका मूल्यांकन निम्नानुसार अंकित किया गया है–

प्रस्तावित बंजर भूमि का मूल्यांकन	$= 11500000 \times 0.290 = 33,35,000$ रुपये
रास्ता भूमि का मूल्यांकन	$= 15500000 \times 0.236 = 36,58,000$ रुपये
अन्तर	$= 3,23,000$ रुपये

चूंकि परिवहन निगम एक वाणिज्यिक विभाग है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 के अन्तर्गत स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 59 की उपधारा 2 में उल्लिखित भूमियों के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा 2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियों और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियों उन दशाओं में जहां राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिये तथा जहां वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिये अपेक्षित हो, रु0 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रु0 40 लाख से अधिक की वस्तुओं मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है।"

परिवहन निगम को भूमि निःशुल्क उपब्ध कराये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ की ओर से पत्र संख्या यू0ओ0 82/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 28 जून, 2021 में स्पष्ट निर्देश/आदेश निर्गत किये गये हैं कि "शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद बुलन्दशहर स्थित विधान सभा क्षेत्र व कस्बा अनूपशहर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु नगरपालिका परिषद्, अनूपशहर की भूमि गाटा संख्या 464/3 रकबा 0.481 हे0 में से रकबा 0.236 हे0 भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता अंकित है, को परिवहन निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क पुर्नग्रहण/हस्तान्तरण तथा प्रस्तावित प्रतिकर की धनराशि एवं पूंजीकृत मूल्य (वार्षिक किराया) की देयता में छुट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुये उक्त भूमि को निःशुल्क पुर्नग्रहित कर बस स्टेशन बनाये जाने हेतु परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के निर्वतन पर रखने की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।"

अतः उपर्युक्त शासनादेश/अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी बुलन्दशहर उपजिलाधिकारी अनूपशहर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित भूमि की श्रेणी परिवर्तन किये जाने की अनुमति प्रदान करता हूं।

क्र0	भूमि का विवरण	तालिका-01					तालिका-02				
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				हेक्टेयर							
1	बस स्टेशन हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग की भूमि	अनूप शहर बांगर	464/3	0.236	रास्ता	6-3	—	—	—	—	—
2	श्रेणी परिवर्तन से पूर्व भूमि का विवरण	अनूप शहर बांगर	464/3	0.236	रास्ता	6-3	अनूप शहर बांगर	1219/13	0.290	बंजर	5-3-ङ
3	श्रेणी परिवर्तन के पश्चात् भूमि का विवरण	अनूप शहर बांगर	464/3	0.236	बंजर	5-3-ङ	अनूप शहर बांगर	1219/13	0.290	रास्ता	6-3

अतः उपरोक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय करने की अनुज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपजिलाधिकारी अनूपशहर उपरोक्तानुसार भूमि को राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के संबंध में नियमतः अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त भूमि का प्रयोजन संबंधित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उक्त भूमि का विक्रय करने या किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है, तो उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अनुज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

08 जुलाई, 2021 ई0

सं0 1411/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम पौटा कबूलपुर, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 753/आर0के0, दिनांक 03 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भू-खण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त

हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 26 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 37 किता कुल क्षेत्रफल 0.811 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	पौटा कबूलपुर	50	0.005	चकमार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				56	0.035	चकमार्ग	
				147	0.051	चकमार्ग	
				180	0.031	चकमार्ग	
				159	0.002	चकमार्ग	
				904	0.030	चकमार्ग	
				913	0.026	चकमार्ग	
				920	0.056	चकमार्ग	
				932	0.003	चकमार्ग	
				1043	0.010	चकमार्ग	
				1066	0.048	चकमार्ग	
				898	0.025	चकमार्ग	
				55	0.012	नाली	
				57	0.022	नाली	
				146	0.025	नाली	
				151	0.024	नाली	
				154	0.017	नाली	
				172	0.005	नाली	
				81	0.020	नाली	
				150	0.003	नाली	

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	पौटा कबूलपुर	176	0.020	नाली	
				158	0.002	नाली	
				861	0.014	नाली	
				900	0.026	नाली	
				907	0.016	नाली	
				918	0.010	नाली	
				919	0.014	नाली	
				939	0.014	नाली	
				1038	0.010	नाली	
				1042	0.020	नाली	
				1049	0.005	नाली	
				1151	0.008	नाली	
				996	0.007	नाली	
				940	0.027	नाली	
				61	0.040	नाली	
				1050	0.030	मुख्य मार्ग	
				173	0.098	रास्ता	
				योग . .	**0.811**		

सं0 1412/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम कुचेसर, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 751/आर0के0, दिनांक 03 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भू-खण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 जुलाई, 2021 व

भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 28 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 20 किता कुल क्षेत्रफल 0.467 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	कुचेसर	784	0.052	सेक्टर मार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				609	0.070	चकमार्ग	
				649	0.011	चकमार्ग	
				658	0.034	चकमार्ग	
				675	0.056	चकमार्ग	
				649	0.037	चकमार्ग	
				817	0.016	चकमार्ग	
				496	0.010	चकमार्ग	
				588	0.004	चकमार्ग	
				469	0.020	चकमार्ग	
				743	0.013	नाली	
				816	0.006	नाली	
				819	0.050	नाली	
				822	0.017	नाली	
				471	0.020	नाली	
				511	0.012	नाली	
				561	0.004	नाली	
				589	0.003	नाली	
				580	0.024	नाली	
				475	0.008	रास्ता	
				योग . .	**0.467**		

सं0 1413/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की

धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम बैनीपुर, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 741/आर0के0, दिनांक 01 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भू-खण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 01 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 30 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 11 किता कुल क्षेत्रफल 0.245 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बैनीपुर	295	0.007	आबादी	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				296	0.004	आबादी	
				239	0.039	चकमार्ग	
				246	0.005	चकमार्ग	
				286	0.015	चकमार्ग	
				290	0.023	चकमार्ग	
				299	0.002	चकमार्ग	
				374	0.050	चकमार्ग	
				291	0.025	नाली	
				294	0.015	नाली	
				282	0.060	मुख्य मार्ग	
				योग . .	**0.245**		

सं0 1414/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम तकर्रबपुर लाडपुर, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 745/आर0के0, दिनांक 01 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भू-खण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 01 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 30 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 19 किता कुल क्षेत्रफल 0.556 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तकर्रबपुर लाडपुर	956	0.056	चक मार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				966	0.066	चकमार्ग	
				1025	0.039	चकमार्ग	
				1049	0.025	चकमार्ग	
				1098	0.043	चकमार्ग	
				974	0.010	नाली	
				976	0.028	नाली	
				983	0.033	नाली	
				986	0.021	नाली	
				1024	0.024	नाली	

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तकर्रबपुर	1044	0.012	नाली	
			लाडपुर	1052	0.015	नाली	
				1096	0.046	नाली	
				972	0.011	नाली	
				990	0.055	मुख्य मार्ग	
				1043	0.013	मुख्य मार्ग	
				1062	0.038	मुख्य मार्ग	
				1061	0.011	मुख्य मार्ग	
				1063	0.010	मुख्य मार्ग	
				योग . .	**0.556**		

सं0 1415/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम बीहटा, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 746/आर0के0, दिनांक 01 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भू-खण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 01 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 30 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 16 किता कुल क्षेत्रफल 0.405 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बीहटा	52	0.052	चकमार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				83	0.051	चकमार्ग	
				284	0.022	चकमार्ग	
				280	0.027	चकमार्ग	
				298	0.014	चकमार्ग	

1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बीहटा	295	0.002	चकमार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				271	0.025	चकमार्ग	
				38	0.047	नाली	
				35	0.013	नाली	
				73	0.042	नाली	
				81	0.024	नाली	
				245	0.037	नाली	
				293	0.020	नाली	
				285	0.012	नाली	
				270	0.010	नाली	
				302	0.007	नाली	
				योग . .	**0.405**		

सं0 1416/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम हिंगवाड़ा, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 744/आर0के0, दिनांक 01 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भू-खण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 01 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 30 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 19 किता कुल क्षेत्रफल 0.581 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में

उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिंगवाड़ा	590	0.003	चकमार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				668	0.018	चकमार्ग	
				667	0.003	चकमार्ग	
				679	0.057	चकमार्ग	
				687	0.032	चकमार्ग	
				148	0.026	चकमार्ग	
				161	0.035	चकमार्ग	
				164	0.009	चकमार्ग	
				564	0.041	चकमार्ग	
				216	0.010	चकमार्ग	
				230	0.034	चकमार्ग	
				275	0.034	चकमार्ग	
				296	0.010	चकमार्ग	
				594	0.057	चकमार्ग	
				154	0.055	चकमार्ग	
				72	0.040	चकमार्ग	
				688	0.020	नाली	
				711	0.048	नाली	
				236	0.049	सेक्टर मार्ग	
				योग . .	**0.581**		

सं0 1417/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम बांहपुर, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना की ओर से आख्या पत्रांक 752/आर0के0, दिनांक 03 जुलाई, 2021 जिसमें संस्तुति की गयी है कि "संदर्भित चकमार्ग, नाली आदि का जो भाग गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण से प्रभावित है, उनसे अनुसूची में उल्लिखित भूखण्ड भी पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संरेखण से प्रभावित है। चूंकि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना एलिवेटेड सड़क है और इसमें यथा स्थान सर्विस रोड और अण्डरपास भी बनना है। इससे चकमार्ग, नाली आदि के प्रभावित क्षेत्रफल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा व विनिमय के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था का भी कोई औचित्य नहीं है और न ही इसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता रह जायेगी। सुरक्षित श्रेणी के अनुसूची में अंकित गाटों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन न कर सीधे पुर्नग्रहण की कार्यवाही

किये जाने की संस्तुति की है।" व पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 30 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि 24 किता कुल क्षेत्रफल 0.718 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1446	0.050	चकमार्ग	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				1447	0.072	चकमार्ग	
				1454	0.002	चकमार्ग	
				1465	0.026	चकमार्ग	
				1460	0.011	चकमार्ग	
				1495	0.030	चकमार्ग	
				1493	0.006	चकमार्ग	
				1496	0.066	चकमार्ग	
				1506	0.019	चकमार्ग	
				1508	0.006	चकमार्ग	
				1397	0.001	चकमार्ग	
				1675	0.066	चकमार्ग	
				1622	0.012	चकमार्ग	
				1641	0.045	चकमार्ग	
				1596	0.138	चकमार्ग	
				1602	0.018	चकमार्ग	
				1443	0.028	नाली	
				1461	0.006	नाली	
				1497	0.025	नाली	
				1676	0.024	नाली	
				1621	0.004	नाली	
				1625	0.015	नाली	
				1608	0.016	नाली	
				1595	0.032	नाली	
				योग . .	**0.718**		

सं0 1418/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम अनूपशहर

बॉगर, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। तहसीलदार अनूपशहर द्वारा आख्या पत्रांक 1363(1)र0का0/2021, दिनांक 06 जुलाई, 2021 के साथ उपलब्ध कराये गये उपजिलाधिकारी के पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 05 जुलाई, 2021 नगरपालिका परिषद अनूपशहर की बोर्ड बैठक प्रस्ताव दिनांक 27 मार्च, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.236 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-82/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 28 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखते हुये परिवहन निगम का अनूपशहर बस स्टेशन बनाये जाने हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	अनूपशहर	अनूपशहर	अनूपशहर बॉगर	464/3	0.236	बंजर	उ0प्र0 शासन के परिवहन विभाग के निवर्तन पर रखते हुये परिवहन निगम का अनूप शहर बस स्टेशन बनाये जाने हेतु।

14 जुलाई, 2021 ई0

सं0 1426/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम इकलैडी, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना ने अपनी आख्या पत्रांक 778/र0का0, दिनांक 13 जुलाई, 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव दिनांक 08 जुलाई, 2021 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 25 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.013 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	इकलैंडी	01	0.013	नवीन परती	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।

सं0 1427/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम बांहपुर, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना ने अपनी आख्या पत्रांक 778/र0का0, दिनांक 13 जुलाई, 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 25 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.130 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1637ख	0.130	नवीन परती	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।

सं0 1428/डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1012) की धारा 59 की उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम हिंगवाड़ा, तहसील स्याना, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं। उपजिलाधिकारी स्याना ने अपनी आख्या पत्रांक 778/र0का0, दिनांक 13 जुलाई, 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 25 जून, 2021 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 0.054 हे0 भूमि शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 02 जून, 2021 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिंगवाड़ा	297	0.010	नवीन परती	उ0प्र0 शासन के औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखते हुये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु।
				149	0.025		
				630	0.019		
				योग . .	**0.054**		

जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

बांदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

17 जुलाई, 2021 ई0

सं0 443 (5)/12–भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी (5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 6 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी बांदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 3 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बांदा	बांदा	भरखरी	भरखरी	5-1 नवीन परती खाता संख्या 449	434	0.1540 हे0 में से 0.0088 हे0	सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु

सं0 444 (6)/12–भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 6 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम पल्हरी ग्राम पंचायत पल्हरी तहसील बांदा जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक

उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुए शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांदा	बांदा	पल्हरी	329	हेक्टेयर 0.474 हे0 में से 0.0625 हे0	श्रेणी-6-2 जानवर खड़े होने के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ बंजर	330	हेक्टेयर 0.3880 हे0 में से 0.0625 हे0	श्रेणी-5-3-ङ बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-2 जानवर खड़े होने के स्थान	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

23 जुलाई, 2021 ई0

सं0 451/12–भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी बांदा, निम्न सूची में उल्लिखित ग्राम पल्हरी ग्राम पंचायत जखौरा तहसील बांदा जिला बांदा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता के दृष्टिगत श्रेणी परिवर्तन करते हुए शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में विहित प्राविधानों के क्रम में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि को अपने अधिकार में लेता हूं–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांव सभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			प्रयोजन जिसके लिए भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहीत की गयी
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बांदा	बांदा	जखौरा	1079	हेक्टेयर 0.200 हे0 में से 0.160 हे0	श्रेणी-5-1 आबादी हेतु सुरक्षित भूमि के स्थान पर श्रेणी-5-1-नवीन परती	1054	हेक्टेयर 0.210 हे0 में से 0.160 हे0	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-5-1 आबादी हेतु सुरक्षित भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, बांदा।

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञा

12 अगस्त, 2021 ई0

सं0 860/बारह-ए/भू0व्य0 (पुर्नग्रहण)/2021-22—अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं डा0 दिनेश चन्द्र जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं तथा उपजिलाधिकारी नानपारा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 15 जुलाई, 2021 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इमीग्रेशन चेकपोस्ट रूपईडीहा के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	नानपारा	चर्दा	पचपकरी	301 मि0	0.300	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) नवीन परती	इमीग्रेशन चेकपोस्ट रूपईडीहा के भवन निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ

डा0 दिनेश चन्द्र,
जिलाधिकारी, बहराइच।

सम्भल (बहजोई) के जिलाधिकारी की आज्ञायें

19 जून, 2021 ई0

सं0 09/डी0एल0आर0सी0/2020-21—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम रसूलपुर धतरा, परगना व तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी, गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	रसूलपुर धतरा	77/0.130 रास्ता, 241/0.010 नाली, 237/0.010 नाली, 243/0.045, नवीन परती, 246/0.011 चकमार्ग, 289/0.033 नाली, 283/0.020 चकमार्ग, 365/0.098 रास्ता, 629/0.002 नाली, 637/0.004 नाली, 638/0.008 चकमार्ग, 651/0.015 चकमार्ग, 648/0.021 चकमार्ग, 661/0.028 नाली, 662/ 0.026 चकमार्ग, 840/0.0141 रास्ता, 846/0.001 चकमार्ग, 929/0.032 चकमार्ग, 931/0.250 तालाब, 932मि/0.029 तालाब, 935/0.413 ईट बनाने का स्थान, 937/0.644 तालाब, 770/0.007 ईट बनाने का स्थान, 771/0.043 बंजर, 936मि/0.012 बंजर, 936मि/0.041, रास्ता, 824/0.003 खाद के गड्ढे, 839/0.076 रास्ता, 825/0.004 चकमार्ग, 1019/0.005 चकमार्ग, 951/0.015 चकमार्ग, 942/0.001 नाली, 943/0.001 चकमार्ग, 1011/0.003 चकमार्ग, 1026/0.013 चकमार्ग, 1068/0.001 चकमार्ग, 1023/0.048 चकमार्ग, 1067/0.016 नवीन परती, 1056/0.033 चकमार्ग, 1994/0.192 रास्ता, 1051/0.016 नवीन परती, 2100/0.069 रास्ता, 2069/0.059 नवीन परती, 2074/0.001 चकमार्ग, 2098/0.104, 2107/0.008 नाली, 2111/0.017 चकमार्ग, 2106/0.096 रास्ता, 2120-0.012,	2.867	ग्राम समाज की भूमि	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

29 जून, 2021 ई0

सं0 19/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत कसेरवा, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	कसेरवा	65	0.022	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					337	0.016	रास्ता	
					82	0.008	चकमार्ग	
					60	0.013	चकमार्ग	
					83	0.040	मुख्यमार्ग	
					91	0.012	चकमार्ग	
					92	0.010	नाली	
					58	0.493	तालाब	
					54	0.033	चकमार्ग	
					46	0.018	चकमार्ग	
					143	0.050	रास्ता	
					153	0.036	चकमार्ग	
					205	0.090	चकमार्ग	
					194	0.012	चकमार्ग	
					229	0.061	ग्राम सभा (पट्टा निरस्त)	
					286	0.240	रास्ता	
					280	0.016	मुख्यमार्ग	
					279	0.020	नाली	
					274	0.014	नाली	
					268	0.059	रास्ता	
					273	0.004	नाली	
					255	0.010	चकमार्ग	
					253	0.017	चकमार्ग	
					247	0.012	तालाब	
					योग. . .	**1.306**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 20/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत बिसारू, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	बिसारू	18/0.0410 गूल 76/0.050 चकरोड 179/0.057 रास्ता 224/0.025 गूल 219/0.103 मिट्टी निकालने का स्थान 175/0.035 सर्विस रोड 227/0.077 रास्ता 344/0.032 गूल 377/0.128 रास्ता	0.548	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल–दरामद किया जाये।

सं0 21/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त

शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत फतेहपुर शमसोई, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	फतेहपुर शमसोई	222/0.024 रास्ता 207/0.026 रास्ता 211/0.054 रास्ता 938/0.0137 रास्ता 906/0.082 गूल 935/0.093 ट्यूबवेल 1077/0.066 रास्ता 948/0.005 पुरानी परती 234/0.389 रास्ता 321/0.132 रास्ता 337/0.002 रास्ता 360/0.020 रास्ता 347/0.004 रास्ता 348/0.019 रास्ता 142/0.052 सर्विस रोड	1.105	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 22/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत किरारी, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	किरारी	2/0.012 रास्ता 7/0.487 पेड़ लगाने की भूमि 8/0.0842 पशुचर भूमि 9/1.168 पेड़ लगाने की भूमि 19/0.012 चकमार्ग 249/0.015 चकमार्ग 252/0.169 रास्ता 254/0.115 सर्विस रोड 262/0.123 रास्ता	2.101	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 23/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत नगलिया कठैर, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	नगलिया कठैर	503	0.023	मुख्य मार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					504	0.017	चकमार्ग	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	नगलिया कठैर	505	0.041	नवीन परती	
					519	0.017	नाली	
					520	0.007	चकमार्ग	
					534	0.015	चकमार्ग	
					556	0.009	चकमार्ग	
					योग . .	**0.129**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 24/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत मझौला, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	मझौला	94/0.030 गूल 107/0.0197 चकरोड 125/0.030 चकरोड 81/0.012 चकरोड 142/0.258 रास्ता 609/0.050 गूल 213/0.165 रास्ता 485/0.030 चकरोड 452/0.016 पुरानी परती 442/0.049 रास्ता 469मि0/0.012 गूल	0.6717	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 25/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत चिरौली भगवन्तपुर, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	चन्दौसी	सम्भल	चिरौली भगवन्तपुर	1144	0.034	नाली	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					1175	0.020	चकमार्ग	
					1182	0.086	नवीन परती	
					1183	0.064	रास्ता	
					योग	**0.204**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 26/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत लहरशीश, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	लहरशीश	426	0.012	नाली	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					424	0.022	नाली	
					439	0.024	चकमार्ग	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
					437	0.025	चकमार्ग	
					445	0.142	रास्ता	
					448	0.031	नाली	
					योग . .	**0.256**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 27/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत तत्तारपुर संदल, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	तत्तारपुर संदल	1	0.068	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					8	0.210	नवीन परती	
					39	0.065	रास्ता	
					51	0.020	चकमार्ग	
					7	0.387	नवीन परती	
					44	0.034	चकमार्ग	
					65	0.047	चकमार्ग	
					72	0.036	मुख्यमार्ग	
					73	0.079	तालाब	
					74	0.021	चकमार्ग	
					83	0.028	चकमार्ग	
					97	0.016	चकमार्ग	
					योग	**1.011**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 28/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत भटौला, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	भटौला	17	0.123	मार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					5	0.035	चकमार्ग	
					8	0.583	वृक्षारोपण भूमि स्थान	
					9	0.856	पशुचर	
					11	0.044	चकमार्ग	
					87	0.058	चकमार्ग 87 स	
					94	0.039	94(2) राजकीय सम्पति	
					101	0.069	चकमार्ग	
					105	0.074	रास्ता (लिंक मार्ग)	
					योग	**1.881**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

30 जून, 2021 ई0

सं0 29/डी0एल0आर0सी0/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत ईसापुर सुनवारी, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	ईसापुर सुनवारी	658	0.063	चकमार्ग	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					645	0.018	चकमार्ग	
					655	0.027	चकमार्ग	
					637	0.018	चकमार्ग	
					636	0.155	तालाब	
					659	0.164	रास्ता	
					765	0.346	रास्ता	
					913	0.001	चकमार्ग	
					908	0.026	चकमार्ग	
					747	0.012	चकमार्ग	
					896	0.018	चकमार्ग	
					894	0.047	मुख्यमार्ग	
					889	0.035	नाली	
					890	0.036	चकमार्ग	
					872	0.048	चकमार्ग	
					860	0.035	नाली	
					1089	0.017	चकमार्ग	
					1076	0.005	चकमार्ग	
					854	0.228	रास्ता	
					728	0.026	नवीन परती	
					योग	**1.325**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 30/डी0एल0आर0सी0/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त

शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत लहरावन, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	लहरावन	126/0.053 चकरोड 156/0.0702 सड़क 158/0.175 रास्ता 162मि0/0.001 आबादी 171/0.001 रास्ता 253/0.019 रास्ता 259/0.040 रास्ता 267/0.012 गूल 273/0.012 गूल 313/0.008 गूल 359/0.015 गूल 367/0.026 गूल 370/0.077 रास्ता 374/0.020 गूल 505/0.026 गूल	1.187	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 31/डी0एल0आर0सी0/2020-21—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम

पंचायत सहरा, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	सम्भल	सम्भल	सम्भल	सहरा	752-ख	0.035	रास्ता श्रेणी 6(2)	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिए।
					750	0.087	चकरोड श्रेणी 6(2)	
					770	0.038	गूल श्रेणी 15 (आकृषिक भूमि मिलकियत सरकार	
					योग . . .	**0.160**		

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

संजीव रंजन,
जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई)।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

21 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 559/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन-जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद-ललितपुर, तहसील-महरौनी, परगना-महरौनी, ग्राम-बम्हौरी बहादुर सिंह में कुल 0.453 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 25 जून, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बॉध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम-बम्हौरी बहादुर सिंह, परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 0.453 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बॉध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बॉध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढेगी। "

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर × को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है– (भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशासक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है)।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	बम्हौरी बहादुर सिंह	346	0.060
				1229	0.032
				1297	0.090
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	बम्हौरी बहादुर सिंह	1379	0.150
				1380	0.085
				1467-क	0.011
				1472	0.025
				कुल योग. .	**0.453**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एंव प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अर्न्तगत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेश कुमार,
जिला कलेक्टर,
ललितपुर।

NOTIFICATION

September 21, 2020

No. 559/VIII-S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur–Under Sub Section (1) of Section 11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh /Collector (For the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.453 hectares of land in required in the Village-Bamohri Bahadur Singh, Pargana and Tehsil- Maharauni District-Lalitpur is required for public purpose, namely, project- JAMRAR DAM THOUGH– Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand , Matateela , Lalitpur (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 25 / 06/2020.

3. The summary of the Social Impact Assessment report as Follows: - "The remaining land being acquired for the construction of the JAMRAR DAM (Village - Bamohri Bahadur Singh, Pargana and Tehsil Maharauni, District Lalitpur) area 0.453 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. JAMRAR DAM is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase".

4. Total zero family is likely to be displaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are **:-** No family is being displaced due to the land acquisition.

Deputy Collector/Assistant Collector X is appointed as an administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families- (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint an administrator).

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose .

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Bamohri Bahadur Singh	346	0.060
				1229	0.032
				1297	0.090
				1379	0.150
				1380	0.085
				1467 k	0.011
				1472	0.025
				TOTAL. .	**0.453**

6. The Governor is also pleased to authorise The Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entreupon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale / purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESHKUMAR,
District Collector, Lalitpur.

सं0 560/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माता टीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद-ललितपुर, तहसील-महरौनी, परगना-महरौनी, ग्राम-असौरा में कुल 0.232 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 25 जून, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बॉध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम-असौरा, परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 0.232 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बॉध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बॉध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढेगी।"

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर × को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशासक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है)।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड स0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	असौरा	83	हेक्टेयर 0.232

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एंव प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण ,खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अर्न्तगत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेश कुमार,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

NOTIFICATION

September 21, 2020

No. 560/VIII-S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur–Under Sub Section (1) of Section 11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh /Collector (For the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.232 hectares of land in required in the Village- Aasura, Pargana and Tehsil- Maharauni District- LALITPUR is required for public purpose, namely, project- JAMRAR DAM THOUGH– Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand , Matateela , Lalitpur (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 25 / 06/2020.

3. The summary of the Social Impact Assessment report as Follows: - "The remaining land being acquired for the construction of the JAMRAR DAM (Village - Aasura, Pargana and Tehsil-Maharauni District Lalitpur) area 0.232 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. JAMRAR DAM is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better

irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase".

4. Total zero family is likely to be displaced due to the land acquisition.The inevitable reasons for this displacement are **:-** No family is being displaced due to the land acquisition.

Deputy Collector/Assistant Collector X is appointed as an administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families- (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint an administrator).

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose :

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Aasura	83	0.232

6. The Governor is also pleased to authorise The Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale /purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESH KUMAR,
District Collector, Lalitpur.

सं0 561/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माता टीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद-ललितपुर, तहसील-महरौनी, परगना-महरौनी, ग्राम-खिरिया भारन्जू में कुल 6.021 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 25 जून, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बॉध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम-खिरिया भारन्जू , परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 6.021 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बॉध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बॉध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्वि, रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढेगी।"

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर × को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशासक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है)।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड स0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	खिरिया भारन्जू	86-ज	0.216
				39	1.322
				397	0.860
				408	0.880
				409	0.607
				419	1.731
				56-ख	0.065
				29	0.340
				कुल योग. .	**6.021**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एंव प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण ,खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेश कुमार,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

NOTIFICATION

September 21, 2020

No. 561/VIII-S.L.A.O./Irrigation/Lalitpur–Under Sub Section (1) of Section 11 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar pradesh /Collector (For the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 6.21 hectares of land in required in the Village- Khiriya Bharanju, Pargana and Tehsil- Maharauni District-LALITPUR is required for public purpose, namely, project- JAMRAR DAM THOUGH– Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand , Matateela , Lalitpur (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 25 / 06/2020.

3. The summary of the Social Impact Assessment report as Follows: - "The remaining land being acquired for the construction of the JAMRAR DAM (Village - Khiriya Bharanju, Pargana and Tehsil Maharauni District Lalitpur) area 6.21 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. JAMRAR DAM is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase".

4. Total zero family is likely to be displaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are **:-** No family is being displaced due to the land acquisition.

Deputy Collector/Assistant Collector X is appointed as an administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families- (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint an administrator).

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose :

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Maharauni	Maharauni	Khiriya Bharanju	86-J	0.216
				39	1.322
				397	0.860

1	2	3	4	5	6
					Hectare
				408	0.880
				409	0.607
				419	1.731
				56-KH	0.065
				29	0.340
				TOTAL. .	**6.021**

6. The Governor is also pleased to authorise The Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale /purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESH KUMAR,
District Collector, Lalitpur.

पी0एस0यू0पी0–33 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 अक्टूबर, 2021 ई० (कार्तिक 22, 1943 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 8 सितम्बर, 2021 ई0 / 17 भाद्रपद, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0–लो0स0/2/2019(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2019 की निर्वाचन अर्जी संख्या 2 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 12 फरवरी, 2021 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
पुष्पा एन0 लकड़ा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the 8th *September*, 2021 / 17th *Bhadrapada*, 1943 (*Saka*).

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/2/2019 (Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 12th *February*, 2021 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 2 of 2019.

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no. 2 of 2019.

(*Under Section* 80/81 *of Representation of the People Act, 1951*)

District : Gautam Budh Nagar.

Adesh Tyagi
S/o Sri Kul Pavitra Tyagi,
R/o A-99, 2nd Floor, Sector-33, Noida,
District Gautam Budh Nagar, U.P.

. . Petitioner.

VERSUS

Dr. Mahesh Sharma
S/o Sri Kailash Chandra Sharma,
R/o 404, Sector 15-A, Noida,
District Gautam Budh Nagar, U.P.
(Candidate of Bhartiya Janta Party Symbol 'Lotus')

. . Respondent.

Court No. - 76

Case :- ELECTION PETITION No. - 2 of 2019

Petitioner :- Adesh Tyagi

Respondent :- Mahesh Sharma

Counsel for Petitioner :- Rajesh Kumar Pandey, Adesh Tyagi (In Person), Anil Tiwari, Rajesh Kumar Pandey

Counsel for Respondent :- Dr. D. K. Tiwari, K.R. Singh

Hon'ble Dinesh Kumar Singh-I, *J.*

Sri Rajesh Kumar Pandey, learned counsel for the petitioner, Sri Manish Goyal, learned Senior Counsel assisted by Sri D. K. Tiwari, learned counsel for the respondent are present.

A civil misc. withdrawal application has been moved today under Section 109 & 110 of Representation of People Act, 1951 seeking withdrawal of the election petition by the petitioner supported by an affidavit of the petitioner, in which, it has been stated after filing the election petition, almost one and a half years have passed and because of financial constraint, he wants to withdraw this petition, therefore, he should be permitted to withdraw this petition. It is further submitted by him that provisions for withdrawal has been mentioned in Section 109 (2) as well as 110 of Representation of People Act, 1951 which are reproduced hereinbelow:–

109. Withdrawal of election petitions.-

(1) An election petition may be withdrawn only by leave of the High Court.

(2) Where an application for withdrawal is made under sub-section (1), notice thereof fixing a date for the hearing of the application shall be given to all other parties to the petition and shall be published in the Official Gazette.

110. Procedure for withdrawal of election petition.—

(1) If there are more petitioners than one, no application to withdraw an election petition shall be made except with the consent of all the petitioners.

(2) No application for withdrawal shall be granted if, in the opinion of the High Court, such application has been induced by any bargain or consideration which ought not to be allowed.

(3) If the application is granted-

(a) the petitioner shall be ordered to pay the costs of the respondents there to fore incurred or such portion thereof as the High Court may think fit;

(b) the High Court shall direct that the notice of withdrawal shall be published in the Official Gazette and in such other manner as it may specify and thereupon the notice shall be published accordingly;

(c) a person who might himself have been a petitioner may, within fourteen days of such publication, apply to be substituted as petitioner in place of the party withdrawing, and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.

From the reading of the said provision, it appears that notice was required to be issued fixing date for hearing all the parties to the petition and which was also required to be published in Official Gazette.

Learned counsel for the respondent has relied upon the judgement and order passed by the Hon'ble Apex Court in ***Chaugule vs Bhagwat, AIR 2012 SUPREME COURT 1638***, relevant paragraphs are provided hereinbelow:

15. As may be noticed, Clause (c) of Section 110(3) permits a person, who might himself have been a Petitioner, (emphasis supplied) to apply for substitution as Petitioner in place of the party withdrawing. However, as has been pointed out by Mr. Kanade, the said expression cannot be held to apply across the board in all cases, but has to fit in the facts of each case. In the instant case, the Election Petition filed by Shri Yadavrao was an action in personam and, was, therefore, confined to his own situation. Had it been an action in rem, the High Court may have been justified in substituting the Respondent in place of the original Election Petitioner. In the instant case, the complaint in the Election Petition was that the nomination paper of the Election Petitioner had been wrongly rejected by the Returning Officer. The Respondent herein, who had been substituted in place of Shri Yadavrao, did not have the same interest as Shri Yadavrao and, accordingly, the High Court, in our view, misconstrued the provisions of Section 110(3)(c) of the 1951 Act in applying the conditions literally, without even satisfying itself that the order fit in the facts of the case.

16. We are satisfied that the expression "a person who might himself have been a Petitioner", (emphasis supplied) would not apply in a case like the present one, in which the right to be exercised does not concern the actions of the person elected on the grounds, as contemplated in Sections 100(1) and 101 of the 1951 Act, which provide for the grounds for declaring the elections to be void. The grievance of the original Election Petitioner was not

against the elected candidate, but against the action of Returning Officer in rejecting his nomination paper. Once the Election Petitioner decided not to pursue the matter, the Election Petition could not have been continued by a person, as contemplated in Section 110(3)(c) of the aforesaid Act.

Based on the above proposition of law, it is argued that since in the present petition, prayer was made for getting this petition set-aside because the nomination of the petitioner has been rejected illegally/improperly, therefore, it would be an application in personam and not an application in rem, hence, a notice to the respondent is not required to be issued as he is present before this court.

I am of the opinion that the said interpretation made in the above citation is fully applicable in the present petition and I am of the view that no notice is required to be issued and no need is there for publishing notice of withdrawal in Official Gazette as per Section 109 (2), therefore, such publication is dispensed with.

Now, in view of the fact that the petitioner himself is pressing for withdrawal of this petition on the ground of financial constraint, I see no reason to disallow his prayer, therefore, this petition is dismissed as withdrawn.

Office is directed to make compliance as per provisions under Section 110(3)(b) of Representation of People Act, 1951 within a period of 15 days positively and after publishing the notice of withdrawal in Official Gazette, the copy of same would be kept in record by office.

Consigned to the record room.
Cost easy.

Order Date :- 12.2.2021

(*Sd.*) DINESH KUMAR SINGH-I *J.*

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0–लो0स0/12/2019(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2019 की निर्वाचन अर्जी संख्या 12 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 19 फरवरी, 2020 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/12/2019 (Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 19th *February*, 2020 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 12 of 2019.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no. 12 of 2019.

(*Under Section* 80, 80A and 81 *of Representation of the People Act, 1951*)

District : Bareilly.

Rakesh Agarwal, Advocate, aged about 61 years
Son of Late L. N. Agarwal,
Resident of 359-B, Mirchia Tola, Punjabpura,
Police Station Quila, District Bareilly.

. . Petitioner.

VERSUS

Santosh Kumar Gangwar, Returned Candidate son of not known,
R/o in front of Lalla Market, near Shri Krishna Lila
Ashthal, Pilibhit Road, Bareilly.

. . Respondent.

Reserved

Court No. - 46

Case :- ELECTION PETITION No. - 12 of 2019

Petitioner :- Rakesh Agarwal

Respondent :- Santosh Kumar Gangwar

Counsel for Petitioner :- In Person,Rakesh Agarwal

Counsel for Respondent :- Subodh Kumar, Udit Chandra

Hon'ble Naheed Ara Moonis, *J.*

Heard Shri Rakesh Agarwal, the petitioner in person and Shri Subodh Kumar and Shri Udit Chandra, learned counsel appearing on behalf of respondent.

The instant election petition has been filed by Rakesh Agarwal, Advocate with a prayer to declare the election of respondent-Santosh Kumar Gangwar, who has won the 17th Lok Sabha election from 25 Bareilly Lok Sabha seat, held between 18th March and 23rd May, 2019 to be void.

Before adverting to the facts narrated in the election petition, it is necessary to mention that an election petition is not an action at Common Law, nor in equity. It is a statutory proceeding to which neither the common law nor the principles of equity apply but only those rules which the statute makes and applies. It is a special jurisdiction and a special jurisdiction has always to be exercised in accordance with the statute creating it. In the election disputes, the Court is put in straight jacket. The success of winning candidate is not to be likely interfered with. The burden of proof lies on one, who challenges the election to raise necessary pleadings and adduce evidence to prove such averments as would enable the result of the election being set aside on any of the grounds available in law.

The instant election petition and the question raises therein is to be decided within the fore-corners of the statutes. It appears from the pleadings of the petition raised in paragraphs Nos. 10 to 14 of the petition, which are delineated herein below:

> " 10. That the petitioner objected to the nomination of the respondent in writing supported by his own affidavit and document, that the Returning Officer discarded it and rejected it, instead of rejecting the nomination of respondent.
>
> 11. That the respondent adopted all sorts of corrupt practices to win the election at any rate. He gave one crore rupees to the congress candidates to ensure that he should not contest the election fiercely and vigorously by throwing his life and soul together. He further gave a heavy amount of money to almost all the Muslim candidates, so that he could stop polarizations of votes in favour of the petitioner and he was successful in his drive and illegal designs.
>
> 12. That the respondent used all measures to influence voters in numerous ways, including distribution of diaries, key rings, cash amount, food, drinks liquor etc. to a very large strength.

13. That the respondent exploited all kinds of voters and adopted all sorts of corrupt practices and thereby collected a huge amounts of votes and declared victorious.

14. That the respondent initiated communal riots in Bareilly in last 25 years on several occasions and on 01.9.2003 hekept the dead body of a person, alleged tobe a workers of RSS and BJP, on a hand pull Thela and moved it in the entire townand thereby excited an environment ofhostility and with the result immediately curfew was imposed in the town the sameday."

The grounds of objections raised in the petition are that on the date of his election, the respondent returned candidate was not qualified and was disqualified to be chosen to fill the seat under the Constitution and this Act under Article 102(1)(d); the returned candidate had committed several corrupt practices as disclosed in the body of the election petition; ten nomination of independent candidates were improperly rejected; there is improper acceptance of nomination of respondent-returned candidate; several persons were in collusion and in conspiracy in the corrupt practices adopted to favour the returned candidate; there is utter non-compliance of theprovision of Constitution of India, Representation of People Act, 1951 and the Rules and Orders madethereunder and the High Court Rules; lastly, possibility of manipulation of EVM machine by the ruling party, cannot be ruled out. Hence, the relief sought to declare the election of respondent to be void.

The averments contained in the petition were sworn on affidavit. In the election petition, the petitioner has also mentioned the list of documents as evidence in support of his case, viz. (i) petitioner's objections against nomination of BJP candidate, Mr. Santosh Kumar Gangwar dated 05.4.2019, (ii) petitioner's affidavit dated 05.4.2019 in support of above objections, (iii) petitioner's written printed letter dated 01.5.2019, (iv) order of Returning Officer dated 05.4.2019 rejecting the above objections, (v) petitioner's written printed letter dated 12.4.2019; and (vi) all other relevant documents which this Court may deem fit and proper to examine.

On the election petition, the Stamp Reporter reported on 04.7.2019 that the petition is properly drawn up in compliance with Section 80, 81, 82, 83 and 117 of the Representation of People Act and it is filed within time. It has also been acknowledged, that requisite stamp has been affixed and tender of Rs. 2000/- as security money has been deposited videreceipt dated 04.7.2019. On the basis whereof, the Registrar General has also made an endorsement to the aforesaid report on the said date.

The petition was nominated to this Bench byHon'ble the Chief Justice under Chapter XV-A, Rule 4 of Allahabad High Court Rules, 1952 and sub-section 80(A) of the Representation of People Act, 1951 vide order dated 10.7.2019.

On 17.7.2019, the matter came up before this Court and in order to verify the probity of the election petition, this Court has passed the following order:

"The instant election has been filed by Rakesh Agrawal Advocate, with a prayer to declare the election of Santosh Kumar Gangwar who has won 17th Lok Sabha Election from 25 Bareilly Constituency Seat held on 18th March and 23rd May 2019 to be void.

The petitioner has mooted a number of grounds for challenging the election of Santosh Kumar Gangwar. The grounds raised by the petitioner can neither be stifled nor acquiesced without inviting the respondent Santosh Kumar Gangwar.

In these circumstances notice be issued to the respondent by ordinary process as well as byregistered post in terms of Rule 6 of Chapter XV-A of the Allahabad High Court Rules 1952 returnable within six weeks. Publication be also made following the terms of clause (b) of Rule 5& 6 of Chapter XV-A of the Rules.

Let this petition be listed on 18th September 2019."

Pursuant to the aforesaid order, the directions were complied with by the registry, the notices were published in the local Hindi papers published from Bareilly. The notice was also sent through registered post as well as by ordinary process to the respondent. On 18.9.2019, Shri Subodh Kumar, who represented the respondent, sought time to file objections in response to the election petition.

Learned counsel appearing on behalf of the respondent filed two affidavits; (i) for recalling the order dated 17.7.2019 whereby notice was issued to the respondent and (ii) an application under Order 7 Rule 11 of Code of Criminal Procedure to dismiss the election petition. The aforesaid applications were supported by the affidavits. The petitioner sought time to file counter affidavit to the aforesaid two applications.

After exchange of the pleadings between the parties, the election petition was heard at length.

Learned counsel appearing on behalf of the respondent has submitted that the Stamp Reporter has acceded his powers as while presenting the election petition before the Registrar General, he has not mentioned as to whether any other person has challenged the election or not, hence it is not in consonance with the provision of Constitution of Bench mentioned in Chapter XVA, Rule 4 of Allahabad High Court Rules, 1952 (hereinafter referred to as "High Court Rules"), which speaks that an election petition duly presented shall be registered, and numbered and shall, after an additional office report regarding other election petition, if any, in respect of the same election as are referred to in sub-section (3) of Section 86 of the Act and the Bench, if any, to which they have beenreferred, be laid forthwith before the Chief Justice for reference to a Bench.

In the instant case, the Registrar General has not mentioned in the report whether any other election petition has been filed by any other person for same election or not. The report so submitted by the Stamp Reporter is in violation of Chapter XVA Rules 4 of the High Court Rules as the Registrar General was empowered to see whether there was any other election petition filed challenging the same election. Rule 5 empowers the Court to first, prima facie, satisfy whether the election petition is not barred by Section 81 of the Representation of People Act (hereinafter referred to as "the Act").

The petitioner has opposed the prayer made on behalf of respondent No. 2 on the ground that report so submitted by the Stamp Reporter or the Registrar General is in compliance of Rule 4 and 5 of High Court Rules and once the notice has been issued to respondent, the petition cannot be dismissed on such technical grounds. He further submits that learned counsel for the respondent is trying to lower the dignity of this Court, who is fully empowered to issue notice and has issued notice to the respondent after considering the facts of the case.

Learned counsel for the respondent further submitted that the present election petition challenging the election of the returned candidate does not fulfil strict compliance of the provisions of the Act. Even a single lack of compliance of the provisions will render the election petition nullity. Hence, the merits of the case will only be considered if the relevant statutory provisions have been fully complied with to challenge the election of the returned candidate.

Section 81 of the Representation of People Act speaks about presentation of the petition, which reads as under:

> *"Section 81. Presentation of petitions:- An election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of Section 100 and Section 101 to the High Court by any candidate at such election or any elector within forty five days from, but not earlier than the date of election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate at the election and dates of their election are different, the later of those two dates."*

Presentation of petition has been assigned to the Registrar as per Chapter XV-A Rule 3 of High Court Rules. The relevant Rule reads as under:

3. Presentation of election petition:- Every election petition shall be presented to the Registrar.

The petition shall bear an office report on Court-fee and on compliance, in addition to other matters, with Sections 81,82 , 83 and 117 of the Act.

The petitioner shall file with the petition a list of all documents whether in his possession or power or not, on which he relies as evidence in support of his claim.

From the perusal of the above Rule, it is evident that it is not only mandatory to strictly comply with the Rule, but also states that the petitioner has to file all the documents relied upon by him as evidence. All the annexures and schedules must be signed and verified by the petitioner which shall also be accompanied with as many copies as there are respondents with his signature and it should be true copy.

It is also required that with the election petition, list of documents on which the petitioner placing reliance shall also be filed as evidence. In this regard, learned counsel for the respondent has drawn the attention of the Court to the provisions of Sections 83(2) and 81(3) of the Act, which reads as under:

"83. Contents of petition: *(1) xxx xxx xxx*

(2) Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.

81. Presentation of petition: (1) xxx xxx xxx

*(3) Every election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents mentioned in the petition (*****) and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition.*

Learned counsel for respondent submits that if the aforesaid requirements are not fulfilled, the petition is liable to be dismissed.

In the present case, the election petition filed before the Registrar containing 17 pages and on the 16th page of the election petition, there is a mention of list of certain documents on which the petitioner wanted to rely, but those documents have not been filed with the copy of the election petition, which is contrary to Rule 3 of Chapter XV-A of High Court Rules and the report of the Registrar General that the petition is presented properly is in clear violation of Rule prescribed under the High Court Rules.

The copy of the election petition served to the respondent does not bear the detail or swearing of the affidavit of election petition. There is variation in the copy of the election petition supplied to the returned candidate and is not a true copy as filed in the registry.

It is further pointed out by the learned counsel that photograph mentioned in the election petition was not supplied to the returned candidate, which is also in violation of Section 83 of the Act. In support of his contention, learned counsel for the respondent has placed reliance upon the decision of Hon'ble Supreme Court in **M. Karunanidhi Vs. H.V. Hande, (1983) 2 SCC 473,** wherein Hon'ble Apex Court has held that photograph was a part of the averment contained in paragraph 18(b). In the absence of the photograph the averment contained in paragraph 18(b) would be incomplete. Hence, it was held that election petition could not be treated as election petition presented in accordance with the provisions of Section 81(3) of the Act.

In **Mulayam Singh Yadav S. Dharam Pal Yadav, (2001)7 SCC 98,** Hon'ble Apex Court has held that any infraction of mandatory requirement in the election petition, non-compliance of which will render harsh punishment upon the petitioner.

Learned counsel for the respondent has submitted that in paragraph 11 of the election petition, it is mentioned that respondent has adopted corrupt practice to win the election, but the petitioner has not impleaded the persons, who have indulged in the corrupt practice. They ought to have been impleaded as party and on account of non-impleadment of those persons, the election petition is not maintainable.

The election result of Bareilly Constituency, which was uploaded on the website has been filed as Annexure CA-1, to the affidavit filed under Order 7, Rule 11 C.P.C., which shows that altogether 16 candidates contested the election, out of which there were one candidate of Indian National Congress and six Muslim candidates. Since, the allegation is made against respondent for corrupt practice, those candidates ought to have been arrayed as respondent and non-impleading those candidates is in clear violation of Section 82(b) of the Act. For ready reference, Section 82 of Representation of People Actis reproduced herein under:

> **"82. Parties of the petition:-** *A petitioner shall join as respondents to his petition:*
>
> *(a) where the petitioner, in addition to claiming declaration that the election of allor any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himselfor any other candidate has been duly elected, all the contesting candidates otherthan the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates, and*
> *(b) any other candidate against whomallegations of any corrupt practice are made in the petition."*

In the case of **Har Swarup Vs. Brij Bhushan Saran,** 1967(1) SCR 342, it has specifically been held by the Hon'ble Apex Court that once an allegation is made against a candidate, he should be made party and in case he is not made a party, then the election petition needs to be dismissed in view of Section 82(b) of the Act.

The Hon'ble Supreme Court further held as under:

> *"The terms of Section 82 show what persons must be joined as respondents to an election petition. Clause (a) shows that where a petitioner is only claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, he has to join all the returned candidates to thepetition and no more. Further, where the petitioner in addition to claiming a declaration that the election of all or any ofthe returned candidates is void claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, hehas to join not only the returned candidates but all the contesting candidates. So far asthe words "returned candidates" areconcerned, there is no difficulty as to what they mean. A returned candidate is one who has been elected and a contesting candidate is one who has not withdrawn his candidature under Section 37. It is true that in Clause (a) of Section 82 where we find the words "he himself or any other candidates", "any other candidate" there means any other contesting candidate. That is clear from the context, for there is no question of declaring a person who haswithdrawn his candidature as duly elected. But the same in our opinion cannot be saidof the words "any other candidate" used inClause (b) of Section 82. There is no indication in Clause (b) to suggest that "any other candidate" only*

refers to a candidate who has not withdrawn his candidature under Section 37. The use of the words "any other candidate" in clause (b) is really in contrast to the candidates who are to be made parties under Clause (a). Under Clause 9a) persons who are to be made parties to the petition are:

(a) returned candidates

(b) contesting candidates.

Depending upon the kind of declaration claimed in the petition. Where, for example, there is no claim for a further declaration in an election petition, only returned candidates would be made respondents under Clause (a), But if there are allegations of corrupt practice against any candidate other than the returned candidate, he would have to be made a party under clause (b) as "any other candidate". Similarly where a declaration is asked for in the petition that a particular candidate has been duly elected, all the returned candidates as well as all the contesting candidates have to be made parties under Clause (a). Even in such a case if there is allegation that any other candidate besides the returned candidates and the contesting candidates has been guilty of corrupt practice, clause (b) requires that he should also be made a respondent. There is in our opinion for cutting down the meaning of the word "candidate" as defined in Section 79(b) for the purpose of Section 82(b) in the manner suggested on behalf of the appellants, namely that in Section 82(b) the candidate is only one who has not withdrawn his candidature under Section 87."

Similar view has been reiterated by the Hon'ble Supreme Court in **Mohan Raj Vs. Surendra Kumar Taparia and others,** 1969 (1) SCR 630 by holding that *non-compliance of Section 82(b) of the Representation of People Act will render the petition liable to be dismissed.*

The Hon'ble Apex Court further held as under:

"When the Act makes a persons a necessary party and provides that the petition shall be dismissed if such a party is not joined, the power of amendment or to strike out parties cannot be used at all. The Civil Procedure Code applies subject to the provisions of the Representation of the People Act and any rules made thereunder (Section 87). When the Act enjoins the penalty of dismissal of the petition for non-joinder of a party the provisions of the Civil Procedure Code cannot be used as curative means to save the petition."

In **Kashi Nath Vs. Smt. Kudisia begum and others,** (1970)3 SCC 554, Hon'ble Supreme Court heldas under:

" It is not disputed on behalf of the appellant that Aizaz Rasul was a necessary party and the failure to implead him would entail dismissal of the election petition if there was a candidate against whom allegations of corrupt practice had been made in the petition. Section 82 (b) of the Act lays down in the mandatory terms that such a candidate must be impleaded as a party."

Learned counsel for the respondent has further submitted that in the affidavit filed in support of the petition the petitioner also failed to adhere to the mandatory requirement as provided under Section 83 of the Act., non-compliance whereof will render election petition as not maintainable. Section 83 of the Act lays down that an election petition shall contain a concise statement of the material facts, the detail particulars of the corrupt practice and the statement, if any, which shall be signed by the petitioner and verify in the manner as provided under Code of Civil Procedure. The prescribed form has been explained under Rule 94-A of the Conduct of

Election Rules, 1961, which provides that affidavit filed under Section 83(1) should be sworn before a Magistrate of first class or Notary or the Oath Commissioner which shall be in Form 25. The affidavit in the instant petition is not in the prescribed format as incomplete copy of the affidavit has been served by the petitioner and verification form is lacking which states about solemn affirmation. There is not a whisper of any single person, who has indulged in corrupt practice and, therefore, the affidavit about the corrupt practice is in violation of Section 83(1) of the Act.

In **Purushottam Vs. Returning Officer, Amrawati,** AIR 1992 Bombay 227, a learned Single Judge of Bombay High Court after relying upon catena of judgements of Hon'ble Supreme Court, held that absence of notary affirmation cannot be regarded as inconsequential. It is an omission of a vital nature which is likely to prejudice the returned candidate. It is, therefore, not possible to hold that there has been substantial compliance of the provisions of Section 81(3) of the Act, as contended by the petitioner. The preliminary objection, therefore, deserves to be upheld and the petition deserves to be dismissed on that ground alone.

It is not the duly of the respondent to go through the entire record in order to find out whether the copy supplied to him was a correct one or not and there is endorsement of the Notary on the copy supplied to the returned candidate. It was also not possible for the returned candidate to know whether the affidavit was really sworn and if so, before whom it was sworn and on what date.

In **Rajendra Singh Vs. Smt. Usha Rani,** AIR 1984, SC 956, the Apex Court has observed as under:

> *"This being the position, it is manifest that the appellant did not receive the correct copies as contemplated by Section 81(3) of the Act. The respondent has also not been able to prove that the copies served on the appellant were out of the 10 corrected copies which she had signed and filed. It appears that in view of a large number of the copies of the petition having been filed, there was an utter confusion as to which one was correct and which was not. It is obvious that if an election petitioner filed a number of copies, some of which may be correct and some may be incorrect, it is his duty to see that the copy served on the respondent is a correct one. A perusal of Sections 81(3) and 86 of the Act gives the impression that they do not contemplate filing of incorrect copies at all and if an election petitioner disregards the mandate contained in Section 81(3) by filing incorrect copies, he takes the risk of the petition being dismissed in limine under Section 86. It is no part of the duty of the respondent to wade through the entire record in order to find out which is the correct copy. If out of the copies filed, the respondent's copy is found to be an incorrect one, it amounts to non- compliance of the provisions of Section 81(3) which is sufficient to entail a dismissal of the election petition at the behest."*

In **Mithlesh Kumar Pandey Vs. Baidhanath Yadav,** AIR 1984, SC 305, Hon'ble Supreme Court has laid down certain principle which are to be borne in mind by the Court while dealing with the omissions or discrepancies in the election petition, which are asunder:

> *"(1) That where the copy of the election petition served on the returned candidate contains only clerical or typographical mistakes, which are of no consequence, the petition cannot be dismissed straight away under Section 86 of the Act.*

(2) A true copy means a copy whichis wholly and substantially the same as theoriginal and where there are insignificant or minimal mistakes, the Court may not takenotice thereof.

(3) Where the copy contains important omission or discrepancies of a vital nature, which are likely to cause prejudice to the defence of the returned candidate it cannot be said that there has been a substantial compliance of the provisions of Section 81(3) of the Act.

(4) Prima facie, the statute uses thewords "true copy" and the concept of substantial compliance cannot be extendedtoo far to include serious or vital mistakeswhich shed the character of a true copy sothat the copy furnished to the returned candidate cannot be said to be a true copywithin the meaning of Section 81(3) of theAct.

(5) As Section 81(3) is meant to protect and safeguard the the sacrosanct electoral process so as not to disturb the verdict of the voters, there is no room for giving a liberal or broad interpretation to the provisions of the said Section.

In the light of the aforesaid principles laid down by the Hon'ble Supreme Court, it cannot be said that the omissions and discrepancies, which appeared in theelection petition supplied to the returned candidatewas only clerical or typographical, but the same appears to be substantial and it could cause prejudice to the returned candidate, who is not expected towade through the original record.

Lastly, it has been submitted by the learned counsel for the respondent that the instant petition has been filed levelling wild allegations against the returned candidate to gain cheap publicity. There is no specific averments to substantiate the charge of corrupt practice and even if allegation has been mentioned of corrupt practice, nothing in detail has been submitted on which the petitioner wish to relyand hence the ratio laid down in the case of **Gujarat Urja Vikas Nigam Limited Vs. Essar Power Limited,** 2008 (4) SCC 755 that where a statute provides for a thing to be done in a particular manner, then it has to be done in that manner, and in no other manner" fully applies in the fact and circumstances of the present case and, hence the petition deserves to be dismissed with heavy costs.

The petitioner has filed counter affidavit in reply to the application filed by the learned counsel for the respondent under Order 7 Rule 11 C.P.C. and has replied in a very casual manner by denying the contents of the affidavit in one single paragraph by mentioning false, frivolous and vexatious. Petitioner further stated that contents of the petition are correct and uncontroverted and hence petition be allowed.

It is submitted by the learned counsel appearing on behalf of the respondent that returned candidate isa law graduate and has good reputation in his constituency and has earned goodwill of the people of all the religion, caste and community, who is now serving as Minister of State, independent charge in Central Government. The petitioner is in the habit of casting aspersion on false, frivolous and vexatious grounds against the returned candidate to malign his image.

It has been pointed out by the learned counsel for the respondent that petitioner has earlier also challenged the election of the returned candidate by filing Election Petition No. 14 of 2017

and on account of non-compliance of the mandatory provisions of the Act, the election petition was dismissed by Coordinate Bench of this Court vide order dated 04.9.2019 imposing cost of Rs. 25,000/- (rupees twenty five thousand only).

So far as the tampering of EVM machine is concerned, Hon'ble Apex Court has rejected the contention raised by various other political parties and as such the petitioner has least respect of the highest court of law. He is in habit of making false accusation against Judicial Officers, Administrative Authority and Politicians and also returned candidate, the Returning Officer rightly rejected the objections made by the petitioner. Wild allegations have been made against the returned candidate with respect to the corrupt practice in the election. The petitioner has not complied with the provisions of Section 117 of the Act, hence the petition deserves to be dismissed as not maintainable.

In view of the rival submissions advanced by the learned counsel for the parties and going through the settled statutory provisions of the Act, it is culled out that the parties must plead the material facts in the election petition and adduce the evidence substantially on the basis whereof, the court may proceed to adjudicate the issue as to whether prima facie case is established and if there is any absence of the pleading, evidence or any infraction in law, such election petition cannot be entertained. It is also equally settled by the case laws relied upon by the learned counsel for the respondent that a party cannot be permitted to travel beyond its pleadings. The object and purpose of pleadings is to to enable the adverse party to know the case, it has to meet and and the absence of the pleading would amount to denial of opportunity to the opposite party to rebut the contention as has been held time and again by the Hon'ble Apex Court that the election petition has to be decided strictly in accordance with the statutory provisions contained in the Act and the Rules as the success of a winning candidate cannot be lightly interfered with. Merely by raising bald allegations and controverting the objections in one single para as false, frivolous and vexatious will not be sufficient to declare the election of winning candidate as void. The burden of proof lies heavily on the person, who challenges the election and in the present case the petitioner has utterly failed to put forth any cogent reply for the shortcomings in the election petition as pointed out by the learned counsel for the respondent, viz., incomplete copy of election petition served on the respondent, lacking verification and swearing, not filling the list of documents as evidence to be relied by the petitioner and non- impleadment of those persons against whom allegations of corrupt practice was made, to substantiate the charge of corrupt practice.

In view of the settled principle of law and what has been indicated herein above, the preliminary objections raised by the learned counsel for the respondent-returned candidate, deserves to be upheld and the election petition, deserves to be dismissed under Section 86 of the Act.

In the result, the election petition is dismissed.

However, on the facts and circumstances of the case, the parties are directed to bear their own costs.

Dated: 19.02.2020

(*Sd.*) NAHEED ARA MOONIS- *J.*

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0–वि0स0/1/2017(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 1 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 18 अगस्त, 2017 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/1/2017 (Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 18th *August*, 2017 of the High Court of Judicature at Allahabad, Allahabad in Election Petition No. 1 of 2017.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no. 1 of 2017.

(*Under Section* 81 *of the R.P. Act, 1950/1951* read with Sections 33, 33A, 33B, 34, 35, 36, 37, 38, 39A, 57, 66, 80, 80A, 82, 83, 84, 86, 87, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 117, 123, 134, 136, 153 of the R.P. Act & Art. 13, 14, 16 with the preamble of the Constitution of India) & Ch. XV-A of H.C. Rules Impleadment carry out vide order dated 27-04-2017, incorporated the next respondents from 5 to 13 infront of page number 8.

District : Ghazipur.

Sarv Deo Singh @ Dr. Sarv Deo Singh Yogacharya Kalam
S/o Sri Ram Cheej Singh and adopted S/o President of India,
R/o Village and Post-Lahuwar, P. S. Zamania,
District Ghazipur.

. . Petitioner.

VERSUS

1. The Election Commisson of India through its Chief Electoral Officer State of U. P., Lucknow.
2. The District Electoral Officer/District Magistrate Ghazipur through the Returning Officer/SDM Zamania, Ghazipur Raj Kumar.
3. The Tehsildar Zamania, District Ghazipur.
4. Superintendent of Police District Ghazipur.

. . Respondents.

Court No. - 1

Case :- ELECTION PETITION No. - 1 of 2017

Petitioner :- Sarv Deo Singh @ Dr. Sarv Deo Singh Yogacharya Kalam

Respondent :- The Election Commission of India And 3 Others

Counsel for Petitioner :- In Person, Sarv Dev Singh

Counsel for Respondent :- Rashi Nath Singh Yadav, Narendra Deo Rai, Rajdev Giri.

Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya) *J.*

Election petition is called in revised turn. No one appears for the petitioner to press the election petition.

Accordingly, election petition is dismissed in default.

Order Dated: 18.08.2017

(*Sd.*) RAM SURAT RAM (MAURYA). *J.*

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0–वि0स0/9/2017(इला0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 9 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 21 फरवरी, 2019 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/9/2017 (Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 21st *February*, 2019 of the High Court of Judicature at Allahabad, Allahabad in Election Petition No. 9 of 2017.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no. 9 of 2017.

(*Under Section* 80/81 *of Representation of the People Act, 1951*)

District : Mainpuri.

Ashok Kumar son of Sri. Rameshwar Singh,

Resident of Village and Post Office–Nagla Jula,

District–Mainpuri.

. . Petitioner.

VERSUS

Raj Kumar *alias* Raju Yadav son of Sri. Chandra Pal Singh,

Resident of 181, Pachauri Compound, Devpura, Mainpuri,

District–Mainpuri

. . Respondent.

Court No. - 19

Case :- ELECTION PETITION No. - 9 of 2017

Petitioner :- Ashok Kumar

Respondent :- Raj Kumar *Alias* Raju Yadav

Counsel for Petitioner :- In Person, Ashok Kumar (In Person), K. R. Singh

Counsel for Respondent :- Kartikeya Saran

Hon'ble Manoj Kumar Gupta *J.*

Counsel for the parties are not present

The election petition is accordingly dismissed for want of prosecution.

Order Dated: 21.02.2019

(*Sd.*) MANOJ KUMAR GUPTA, *J.*

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-वि0स0/3/2017(लख0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 3 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ) के दिनांक 28 अगस्त, 2017 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/3/2017 (Luck.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 28th *August*, 2017 of the High Court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench, Lucknow) in Election Petition No. 3 of 2017.

Court No. - 4

Case :- ELECTION PETITION No. - 3 of 2017

Petitioner :- Dr. Mohammad Ismail Faruqui

Respondent :- Shri Suresh Kumar Srivastava

Counsel for Petitioner :- Dr. M. I. Faruqui (In person)

Hon'ble Rajan Roy, *J.*

Heard learned counsel for the parties.

This is an Election Petition challenging the election of opposite party to 171 Lucknow West Assembly constituency. On 31.07.2017 this Court had framed a preliminary issue in the following terms:-

> *"Whether the election petition discloses a cause of action or not? If not, the consequences in terms of Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908."*

The petitioner who appeared in person was heard on the preliminary issue and the written submission filed by him were taken on record.

On a perusal of the pleadings in the election petition the Court finds that the challenge is to the election of the opposite party on the ground that 'Bhartiya Janta Party' was not a National Party and an incorrect assertion had been made in his nomination papers to the contrary, therefore, they were improperly accepted by the Returning Officer.

It has been averred in the petition that vide order dated 24.04.1980 passed by the Election Commission it was held that 'Bhartiya Janta Party' was not a rival or splinter group of the 'Janta Party' within the meaning of para 15 of the Symbol order, therefore, it was part of the Janta party but inspite of the fact that 'Bhartiya Janta Party' lost its existence w.e.f. 09.10.1980 in view of aforesaid finding of the Election Commission and inspite of the fact that 'Bhartiya Janta Party' was not even registered with the Election Commission it erroneously recognized it as a National Party on a regular basis under the same order dated 09.10.1980 which was non-est and void.

It has been further averred that paragraph 3 of the election symbol (Reservation & Allotment) Order 1968 was replaced by new section bearing No. 29-A in the Representation of People Act, 1951 by means of section 6 of the Amendment Act, 1988 w.e.f. 15.06.1989. It has been averred that on the said date 'Bhartiya Janta Party' was not in existence as it stood merged in the 'Janta Party'. In Para 16 of the petition it has been stated that the 'Bhartiya Janta Party' was not eligible to apply for any registration under Section 29-A aforesaid with the Election Commission on any application given by the said political party to the Election Commission for its de-novo registration which could not have been entertained and any such registration made would be de-hors section 29-A referred hereinabove.

Based on the aforesaid it has been averred in paragraphs 18 and 19 that the aforesaid political party which has set-up the opposite party as its candidate from Lucknow West constituency was not a registered political party much less a National Party, a fact which has wrongly been mentioned by the opposite party inhis nomination papers which has been improperly accepted by the Returning Officer.

The challenge, thus, is on the ground as mentioned in section 100(1)(d)(i) of the Act, 1951. To the same effect are the averments made in paragraphs 5 to 5E wherein, based on the aforesaid, violation of Section 33(1),(3) and (6) has been alleged.

In paragraph 20 of the election petition it has been stated that since the Election Commission of India is a State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India, therefore, the very naming of a political party as a 'Bhartiya Janta Party' at the strength of Election Commission of India on 24.04.1980 makes it a State-floated political party whereas the State cannot participate in nomenclature of a political party nor it can of itself initiate the naming of any group before it as a political party. It has further been stated that in this regard the petitioner has already petitioned the Election Commission on 02.02.2017.

Further more in paragraph 21 of the petition it has been stated that even if assuming but not admitting, that the political party which had set him at the election in question is a National political party, since the party now known as 'Bhartiya Janta Party' has been floated by Election Commission of India which is State under Article 12 of the Constitution of India, there is no purity in the election in which the opposite party has been returned, consequently it is liable to be set aside.

In paragraph 22 it has been said that since the opposite party in the eye of law could not have contested the election which was held on 19.02.2017 there is no occasion to go into the issue of any material effect on his election as all the votes cast in his favour have gone waste and he was illegally allowed to participate in the election since there is a substantial and incurable defect in his nomination paper. These allegations have been made regarding improper acceptance of opposite party's nomination papers.

As regards incorrect declaration in the nomination papers of opposite party that 'Bhartiya Janta Party' was a National Party and he was its candidate and its improper acceptance on this count by the Returning Officer, the Court finds that the petitioner himself has annexed an order of the Election Commission dated 09.10.1980 by which in supercession of the earlier interim order dated 24.04.1980 and the Commission's notification dated 30.04.1980 it inter-alia ordered that 'Bhartiya Janta Party' be recognized as a National Party on a regular basis and the symbol "Lotus" be reserved for the said 'Bhartiya Janta Party'.

Preceding this operative portion of the Commission's order it has been observed that dispute between the 'Bhartiya Janta Party' and the 'Janta Party' having been disposed of (by the preceding part of the same order) the question regarding the continued recognition or otherwise of 'Bhartiya Janta Party' as a National Party remains to be settled. Thereafter the Commission has observed that 'Bhartiya Janta Party' was granted interim recognition as a National Party vide order of the Commission dated 24.04.1980 pending final decision in the above dispute and the symbol "Lotus" was reserved for that party for the reasons stated in that order. The party contested the general election to the 9 State Legislative Assembly held in April-June, 1980 in the name andstyle of 'Bhartiya Janta Party'. On the basis of its poll performance in these elections, the Commission was satisfied that the party has fulfilled the condition prescribed in paragraphs 6 and 7 of the "Symbol Order" for recognition as a National Party. The Commission went on to hold and decide that the National Status granted to the 'Bhartiya Janta Party' on an ad-hoc basis as aforesaid be continued. Accordingly in exercise of the power conferred by paragraphs 3,6,7,15,17 and 18 of the "Symbol Order" and all other powers enabling the Commission in this behalf and in supercession of

its earlier interim order dated 24.04.1980 the 'Bhartiya Janta Party' was recognized on regular basis as a National Party with the symbol "Lotus" being reserved for it. Thus, the order dated 09.10.1980 is in two part, the first part decides the dispute between the Bhartiya Janta Party and the Janta Party, wherein the observation regarding the former not being a rival or splinter group of the Janta Party had been made in the context of paragraph 15 of the 'Symbols Order'; after concluding as above and holding that the group led by Sri Chandrashekhar was the real Janta Party, the Commission proceeded to decide the claim of the group led by Sri Atal Bihari Vajpai of being recognized as a National Party and passed the second part of its order recognizing Bhartiya Janta Party as a regular National Party. Thus, the two parts are separate dealing with two different subjects.

Thus, there is no factual and legal basis for the petitioner's contention that 'Bhartiya Janta Party' which had set up the opposite party as its candidate in the election was not a National Party nor that the recital to this effect in the nomination papers of the opposite party was incorrect as the same is belied from the orders referred and filed by the petitioner himself with his petition, therefore, the contention that they were improperly accepted by the Returning Officer, on the face of the material annexed by the petitioner himself, is without any basis. Consequently there is no violation of Section 33(1), (3),(6) of the Act, 1951 hence no triable cause.

To contend as has been done by him in paragraphs 20 and 21 that the aforesaid National Party had been floated by the Election Commission, it being a State within the meaning of Article 12 of the Constitution of India could have been done so, therefore, there was no purity in the election in which the opposite party had been returned is also without any factual and legal basis. In fact it borders on absurdity as the Election Commission is the body competent to recognize a political party under the Election Symbol (Reservation and Allotment) Order, 1958 and it is an independent Constitutional body established for the said purpose.

The assertion in paragraph 22 of the petition that the opposite party could not have contested the election in the eyes of law, therefore, there was no occasion to go into the issue of any material affect on his election again do not satisfy the mandatory requirement of Section 100(1)(d) and are without any legal and factual basis. The fact that the petition is not based on allegation of corrupt practice and Section 83 is not applicable, is not relevant to the case.

In paragraphs 23 and 24 it has been averred that in his affidavit filed before the Election Commission in Form 26 he had disclosed his age as 72 years as on 30.01.2017. He had passed High School in 1997. Based on the aforesaid it has been averred that the election is liable to be set aside as in 1957 when he appeared in the High School Examination he was only 12 years. In the alternative as also in addition it has been averred that he had ex- facie wrongly mentioned in his affidavit that as on 30.01.2017 he was 72 years of age. As regards these averments made in paragraphs 23 and 24 of the election petition during the course of arguments the petitioner submitted that though he has stated these fact in his petition just to reveal an anomaly but he does not want to press the same. Even in the written arguments he has not relied upon paragraphs 23 and 24. Nevertheless, based on the said averments it cannot be said that the opposite party had not reached the minimum age prescribed for contesting the election in question, therefore, the said averments, apart from the fact, that they have not been pressed, do not give any triable cause to the petitioner for maintaining this petition in terms of Section 100 of the Act, 1951.

The petitioner who appeared and argued in person relied upon Rule 5 of Chapter XV-A of the Allahabad High Court Rules, 1952 and Section 81, 82 and 86 (1) to contend that election petition could not be disposed of on a preliminary issue. It was mandatory to issue notice to the opposite party and after

he had filed written statement and evidence and further proceedings involving framing of issues etc. had taken place, then alone a decision could be taken in the matter. Reference may be made in this regard to Section 87 of the Representation of People Act, 1951 sub section (1) of which categorically provide that subject to the provisions of this Act and of any rules made thereunder, every election petition shall be tried by the High Court, as nearly as may be, in accordance with the procedure applicable under the Code of Civil Procedure, 1908 to the trial of suits. The application of Code of Civil Procedure, 1908 to these proceedings is indisputable. Judicial precedents are plethora wherein it has been held that Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908 is also applicable to the proceedings of an election petition. The legal position is already very well settled that Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908 applies at any stage of proceedings including at the threshold and also that for its purpose the averments made in the plaint alone are to be seen. Such proceedings need not be deferred till written statement is filed by the opposite party, issues are framed and evidence is led, therefore, this objection raised by the petitioner is untenable in law and has to be rejected. Application of Order VII Rule 11 is not dependent on any application being moved by the defendants not on issuance of notice to them. It can be exercised at the threshold by the Court itself. Reference may be made in this regard to decision reported in (**1987) (Suppl) SCC 663;** (Samar Singh vs. Kedar Nath alias K.N. Singh and others)**, (1986) (Suppl) SCC 315;** (Azhar Husain vs. Rajiv Gandhi), **(1987) (Suppl) SCC 93;** (Dhartipakar Madan Lal Agarwal vs. Rajiv Gandhi), **(1986) 4 SCC 78** (Bhagwati Prasad Dixit 'Ghorewala' vs Rajeev Gandhi) and **(1984) 1 SCC 390** (Charan Lal Sahu vs. Giani Zail Singh)**.**

In the written submission he has also alleged violat ion of Section 33(3) of the Representation of People Act, 1951 and the Rule 4-A of the Conduct of Election Rules, 1958 as averred in paragraph 5-E and 24, which is also based on alleged improper acceptance of nomination paper as noticed hereinabove and the petitioner has relied upon paragraphs 5, 5-A, 5-E, 6 to 17, 21,22,23 and 24 and facts stated therein regarding incorrect and false declaration by the opposite party in his nomination paper that the 'Bhartiya Janta Party' was a National party, which have already been considered in the earlier part of the judgment and are belied from the documents referred in the Election Petition itself.

It is not out of place to mention that the petitioner had filed an application for amendment seeking to change his stand and introduce a new ground to the effect that the nomination paper of the opposite party was in fact never accepted at all by the Returning Officer, as against the assertion in petition that it was improperly accepted. This assertion was made by him only for the reason that the endorsement made by the Returning Officer on the nomination papers, copies of which were filed with the amendment application and are on record was to the effect "nomination paper was found to be valid" and not as 'accepted'. The said amendment application was rejected partly by this Court order dated 27.07.2017.

In view of discussion already made, there is no triable cause disclosed in the election petition. The ground of challenge referable to Section 100(1)(d)(i) is not borne out from a bare reading of the election petition and the documents annexed therewith. The other pleas also do not give a triable cause.

In view of the above the Court does not find any reason to subject the opposite party to trial as regards the validity of his election to 171 Lucknow West Assembly constituency on 11.03.2017 and the election petition is rejected in terms of Order VII Rule 11(a) of the Code of Civil Procedure read with Section 87of the Representation of People Act, 1951.

Order Date :- 28.8.2017

(*Sd.*) RAJAN ROY, *J.*

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-वि0स0/4/2017(लख0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 4 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ) के दिनांक 06 फरवरी, 2019 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/4/2017 (Luck.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 6th *February*, 2019 of the High Court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench, Lucknow) in Election Petition No. 4 of 2017.

Court No. - 11

Case :- ELECTION PETITION No. - 4 of 2017

Petitioner :- Akhilesh Singh

Respondent :- Chief Election Commission India Ashoka Marg New Delhi & 18Ors.

Counsel for Petitioner :- Vinay Misra, Poonam Narayan

Counsel for Respondent :- Virendra Kumar Dubey

Hon'ble Vivek Chaudhary, *J.*

Case is called out in the revised list.

Learned counsel for the petitioner is not present.

It appears that the petitioner has also not deposited the amount for publication of the notice.

In view thereof, the election petition is dismissed for want of prosecution.

Order Dated: 06.02.2019

(*Sd.*) VIVEK CHAUDHARY, *J.*

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–33 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–43 निर्वाचन–12-11-2021–25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 22, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गुरसरांय (झांसी)

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 332/न0पा0परि0गुरस0/उपविधि/2021-22–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद गुरसरांय, झांसी के द्वारा सीमान्तर्गत निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि या उनके अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली को धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव उपरोक्त नियमावली के प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद किसी आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा नगरपालिका परिषद गुरसरांय द्वारा उक्त विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली के प्रकाशन के उपरान्त जो भी आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त होंगे, उन आपत्तियों एवं सुझावों पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त नियमानुसार उन आपत्तियों का निस्तारण करके अन्तिम रूप प्रदान करने के पश्चात् उक्त ''विविधकर (शुल्क) उपविधि'' कहलायेगी। यदि पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई भी उपविधि लागू है तो उसे निरस्त समझा जाये। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। उक्त नियमावली को आपत्तियों सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 11 सितम्बर, 2021 एवं दैनिक "हिन्दुस्तान" में दिनांक 12 सितम्बर, 2021 को सूचना प्रकाशन कराया गया था, जिसकी अवधि 30 दिन निर्धारित की गई थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तदोपरान्त नगर पालिका परिषद गुरसरांय (झांसी) के बोर्ड की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को पारित प्रस्ताव द्वारा उपविधि को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

" विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका परिषद पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी में यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1–विविधकर शुल्क की दरें–

(1) नकल शुल्क तत्काल बनवाये जाने पर रु0 150.00 प्रति नकल, सामान्य नकल 100.00 रुपया प्रति नकल।

(2) अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क 200.00 रुपया प्रति प्रमाण–पत्र।

(3) अन्य प्रमाण-पत्र शुल्क 100.00 रुपया प्रति प्रमाण–पत्र।

(4) रिकार्ड मुआयना शुल्क 100.00 रुपया प्रति प्रकरण।

(5) सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर दण्ड शुल्क 200.00 रुपया।

(6) सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर दण्ड शुल्क 500.00 रुपया।

(7) सड़क किनारे मलवा डालने जैसे– निर्माण सामग्री, सड़क भाग फुटपाथ नाली के ऊपर अतिक्रमण करने पर दण्ड शुल्क 500.00 रुपया, प्रति करण पुनरावृत्ति करने पर 1000.00 रुपया।

(8) 50 माईक्रॉन से कम पॉलीथीन का प्रयोग करने पर दण्ड शुल्क 100.00 रुपया, पुनरावृत्ति करने पर पैनाल्टी (दण्ड शुल्क) 500.00 रुपया।

(9) वाटर टैंकर पालिका सीमान्तर्गत (व्यक्तिगत घरेलू उपयोग हेतु) शुल्क रुपया 400.00 प्रति टैंकर।

(10) वाटर टैंकर उपयोग (पालिका सीमान्तर्गत) व्यावसायिक कार्य हेतु शुल्क रुपया 800.00 प्रति टैंकर प्रति चक्कर एवं रुपया 200.00 रजि0 अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

(11) किसी जे0सी0बी0 मशीन किराये पर उपयोग हेतु पालिका सीमान्तर्गत शुल्क रुपया 1000.00 प्रति घण्टा। विशेष परिस्थिति में पालिका सीमा के बाहर 05 किमी0 तक किराये पर लेने पर डीजल का अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

(12) सीवर टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन पालिका सीमान्तर्गत शुल्क रुपया 3,000.00 प्रथम चक्कर, पुनः उपयोग हेतु शुल्क रुपया 2,500.00 प्रति चक्कर।

(13) पालिका सीमान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन नगरपालिका परिषद गुरसरांय द्वारा अनुबन्धित संस्था को देने पर यूजर चार्ज के रूप में आवासीय प्रत्येक घर से शुल्क रुपया 30.00 प्रति माह, गेस्ट हाऊस/बारात घर शुल्क रुपया 1000.00 प्रति माह बुकिंग होगा।

(14) सभी प्रकार के घरेलू पालतू जानवर खुला छोड़ने अथवा पकड़े जाने पर शुल्क रुपया 500.00 प्रति दिन दुबारा पकड़े जाने पर शुल्क रुपया 1,000.00 जमा करना होगा।

(15) नगर पालिका की सीमा स्थित मकान में निजी समरसेबिल पम्प लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु शुल्क रुपया 2,000.00 व्यावसायिक भवन में शुल्क रुपया 5,000.00।

(16) नगर पालिका सीमान्तर्गत भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्न प्रकार से शुल्क देय होगा–

[क] आवासीय भवन हेतु रु0 70.00 प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

[ख] अनावासीय भवन/क्षेत्र हेतु रु0 120.00 प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

[ग] व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स/होटल/बारात घर हेतु हेतु रु0 150.00 प्रति वर्गमीटर की दर से देय होगा।

[घ] श्रम विभाग उ0प्र0 के अर्धशा0 प0 सं0 3056, दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा निर्गत पत्र क्रम में नियमतः 10 लाख से अधिक निजी आवासीय/अनावासीय भवनों एवं अन्य निर्माणों (लागत की सीमा निर्धारित नही है) के मानचित्र स्वीकृत करते समय 1 प्रतिशत के समतुल्य उपकर की धनराशि जमा करना होगा।

2–नामान्तरण शुल्क–

1–विरासतन/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड दान-पत्र के आधार पर नामान्तण शुल्क मय प्रकाशन रुपया 1,000.00–

(1) रुपया 01 से रुपया 99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–रुपया 1,000.00

(2) रुपया 1,00,000 से रुपया 2,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–रुपया 2,000.00

(3) रुपया 3,00,000 से रुपया 5,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–रुपया 3,000.00

(4) रुपया 6,00,000 से रुपया 14,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–रुपया 6,000.00

(5) रुपया 15,00,000 से अधिक बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–रुपया 10,000.00

(6) नगरपालिका गुरसरांय की अपनी सम्पत्ति/जायजाद/दुकानों के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क देय होगा।

(क) नामान्तरण शुल्क रुपया 50,000,00 प्रति प्रकरण।

(ख) पुनर्निर्माण शुल्क रुपया 25,000,00 प्रति प्रकरण।

(ग) ऊपरी मंजिल पर निर्माण शुल्क रुपया 50,000.00 प्रति प्रकरण।

(घ) ऊपर अंकित विभिन्न स्वीकृत पर पूर्व किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि अन्य स्थिति में किराये में वृद्धि दो गुनी से अधिक भी की जा सकती है।

(ङ) सामान्यतः किराये में प्रत्येक दो वर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

3–पार्किंग शुल्क–

नगर पालिका सीमान्तर्गत पार्किंग ठेका/पार्किंग शुल्क की दरें–

(1) साईकिल रुपया 5.00 प्रति साईकिल प्रतिदिन स्टैण्ड पर रखने पर।

(2) दो पहिया वाहन स्कूटर/मोटर साईकिल इत्यादि रुपया 10.00 प्रति वाहन स्टैण्ड पर रखने पर।

(3) चार पहिया (फोर व्हीलर) वाहन, कार इत्यादि रुपया 20.00 प्रति वाहन स्टैण्ड पर रखने पर प्रतिदिन

(4) तीन पहिया वाहन, मोटर चलित विक्रम थ्रीव्हीलर आपे आदि ट्रैक्टर ट्राली सहित वाहन रुपया 15.00 प्रति वाहन प्रतिदिन।

(5) चार पहिया वाहन, मोटर चलित वाहन (मेटाडोर, मिनी बस, हल्के वाहन) रुपया 30.00 प्रति वाहन प्रतिदिन।

(6) बड़े वाहन बस/ट्रक इत्यादि रुपया 50.00 प्रति वाहन प्रतिदिन।

4–विज्ञापन पर कर–

सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 618/नौ-9-2012-277ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

(क) विज्ञापन एवं विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, आवागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपर्युक्त हो।

(ख) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाये।

(ग) विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नही जायेगा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो और न ही नष्ट हो।

(घ) 1–विज्ञापन शुल्क प्रति वर्गफुट रुपया 8.00 प्रतिमाह।

2–ग्लोसाइन बोर्ड/साइन बोर्ड/विज्ञापन पट प्रति वर्गफुट रुपया 8.00 प्रतिमाह।

3–क्यास/वाल पेन्टिंग प्रति वर्गफुट रुपया 8.00 प्रतिमाह।

4–बैनर आदि प्रति वर्गफुट रुपया 5.00 प्रतिमाह।

5–यूनीपोल विज्ञापन पट प्रति वर्गफुट रुपया 5.00 प्रतिमाह।

6– कैनोपी (छतरी) रुपया 200.00 प्रतिदिन।

7– गुब्बारे (एअर वैलून) रुपया 200.00 प्रतिदिन।

8–वाहनों पर रुपया 100.00 प्रतिदिन।

9– पोस्टर रुपया 200.00 प्रति सैकड़ा

10–पर्चा (हैण्ड बिल) रुपया 300.00 प्रति हजार

11–इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल माध्यम के विज्ञापन प्रति वर्गफुट रु0 10.00 प्रतिमाह।

12– अन्य प्रकार के विज्ञापन की दर ऊपर निर्धारित दरों के सापेक्ष देय होगी।

(ङ) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित व निकायहित के प्रतिकूल ही होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी प्रकार से अपशिष्ट अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, किसी भी धर्म अथवा समुदाय की भावनाओं के प्रतिकूल एवं आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नही होने चाहिये।

5–डिश एन्टीना शुल्क–

(1) नगरपालिका परिषद गुरसरांय के सीमान्तर्गत डिश एन्टिना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है, या डिश एन्टिना का व्यवसाय किया जाता है।

(2) प्रत्येक डिश एन्टिना स्वामी/साझेदार पर उनके लिये दिये गये कनेक्शन पर प्रति कनेक्शन शुल्क रुपया 20.00 प्रतिमाह लिया जायेगा।

(3) डिश एन्टिना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पालिका में उपलब्ध करायेगा।

(4) कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण पालिका के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

(5) केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

6–भाहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगाई जाने वाली दुकानों से नगर पालिका परिषद गुरसरांय द्वारा बाजार हेतु चिन्हित दुकानों से रुपया 10.00 प्रति बाजार की दर से एवं बड़ी दुकानों से रुपया 20.00 प्रतिदिन प्रति बाजार शुल्क वसूली की जायेगी तथा भविष्य में पालिका में वेडिंग जोन/बाजार हेतु चिन्हित होने वाले स्थलों पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेगी। बाहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र में वसूली या भविष्य में बाजार क्षेत्र हेतु चिन्हित होने वाले अन्य स्थलों पर शुल्क की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे कराई जायेगी या वार्षिक ठेका नीलामी/विविदा के माध्यम से की जायेगी।

7–(क) ठेकेदारी पंजीकरण जमानत धनराशि–

प्रथम श्रेणी ठेकेदार 10,00,000 से अधिक हेतु शुल्क रुपया 1,50,000।

द्वितीय श्रेणी 5,00,000 से 9,99,999 तक शुल्क रुपया 1,00,000।

तृतीय श्रेणी 1,00,000 से 4,99,999 तक शुल्क रुपया 50,000।

चतुर्थ श्रेणी 1,00,000 से कम शुल्क रुपया 20,000।

(ख) ठेकेदारी पंजीकरण शुल्क रुपया 10,000 जो ठेकेदार को कभी वापस नही होंगे।

(ग) पंजीकरण का नवीनीकरण का वार्षिक शुल्क रुपया 5,000.00 जो ठेकेदार को कभी वापिस नही होगा। पंजीकरण का नवीनीकरण विलम्ब शुल्क रुपया 200.00 प्रतिमाह होगा विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क दो गुना अर्थात दस हजार प्रति ठेकेदार देय होगा।

नोट–उपरोक्त नगरपालिका परिषद गुरसरांय विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2021 उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगरपालिका परिषद गुरसरांय (झांसी) की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर शुल्क उपविधि 2021 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेंगी।

पं0 देवेश कुमार पालीवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् गुरसरांय,
झांसी।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, गुरसरांय (झांसी)

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 333/न0पा0परि0गुरस0/उपविधि/2021-22उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची 1 'घ' के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद गुरसरांय सीमान्तर्गत शासनादेश संख्या एक/838/कम्प्यू0सेल/2019-20 लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के अनुसार निवेश मित्र में निकाय की लाईसेंस रेट लिस्ट को ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से लागू किये जाने हेतु संलग्न प्रारूप क्रम संख्या 1 से लेकर 127 मदों होटल रेस्टोंरेन्ट, नर्सिंग होम, परिवहन एवं अन्य व्यवसाय आदि पर शुल्क/फीस दर निर्धारण, वसूली विनियमन, नियमन एवं नियन्त्रण हेतु उपविधि बनाये जाने हेतु पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। शासनादेश संख्या 161 सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 एवं निदेशालय के पत्र संख्या एक/872/कम्प्यू0सेल/2019-20, दिनांक 12 जनवरी, 2021 के द्वारा वार्षिक दुकान लाईसेंस की दरें निर्धारित करके लागू किये जाने का निर्देश प्राप्त हुये हैं। इस उपविधि से किसी व्यक्तिगत/संस्थागत/सरकारी विभाग तथा व्यवसायी प्रभावित होगा। इसलिये इस उपविधि के प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपने सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त नियमावली को आपत्तियों सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र "आज" में दिनांक 11 सितम्बर, 2021 एवं "दैनिक जागरण" में दिनांक 12 सितम्बर, 2021 को सूचना प्रकाशन कराया गया था, जिसकी अवधि 30 दिन निर्धारित की गई थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तदोपरान्त नगरपालिका परिषद गुरसरांय (झांसी) के बोर्ड की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को पारित प्रस्ताव द्वारा उपविधि को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली, 2021

शासनादेश संख्या एक/838/कम्प्यू0सेल/2019-20 लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 161 सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 एवं निदेशालय के पत्र संख्या एक/872/कम्प्यू0सेल/2019-20 दिनांक 12 जनवरी, 2021 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद गुरसरांय सीमान्तर्गत लाईसेंस उपविधि बनाई गई है, जो यह लाईसेंस उपविधि, 2021 कही जायेगी।

परिभाषा–

जब तक कोई विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 2, 1916।

(ख) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी से।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद गुरसरांय के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है।

(घ) यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली, 2021 नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी कहलायेगी।

(ड़) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी से है।

(च) ''प्रभारी अधिकारी'' का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी से है।

(छ) ''अध्यक्ष/चेयरमैन'' का तात्पर्य अध्यक्ष/चेयरमैन नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी से है।

(ज) ''लाईसेंस अधिकारी/अधिशासी अधिकारी'' नगरपालिका परिषद गुरसरांय झांसी एवं अधिकृत कर्मचारी से होंगे।

1–यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली नगरपालिका परिषद गुरसरांय सीमान्तर्गत लागू होंगे। यह नियम लाईसेंस एवं अन्य शुल्क के लिये भी लागू होंगे।

2–कोई भी दुकानदार या अन्य व्यवसायी इस नियमावली के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त किये बिना व्यवसाय नहीं कर सकता और उपनियम लागू होने के पूर्व से चल रहे समस्त दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रतिष्ठानों आदि को लाईसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3–लाईसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक वैध होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिये पुनः लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

4–वित्तीय वर्ष में ही प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय के लिये आवश्यक होगा कि निम्न लिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि, ट्रेड लाईसेंस शुल्क के रूप में जमा करके लाईसेंस प्राप्त कर लेवें।

5–ट्रेड लाईसेंस शुल्क प्राप्त करने के लिये अपेक्षित धनराशि प्राप्तकर्ता कार्यालय नगरपालिका परिषद गुरसरांय में जमा कर सकता है अथवा नगरपालिका के अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

6–केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य कोई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में वर्णित ट्रेड लाईसेंस के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस से भिन्न होगा।

7–नगर पालिका अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेंस का निरीक्षण कर सकता है। प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिये अधिकृत होगा।

8–नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एवं अधिकृत कर्मचारी लाईसेंस निर्गत कर सकता है।

9–जो शुल्क इस पालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाईसेंस शुल्क लिया जायेगा।

10–इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरें प्रभावी होते ही पूर्व में लागू की गई लाईसेंस शुल्क की दरें निष्प्रभावी समझी जायेगी।

11–तालिका की मदों में उल्लिखित ट्रेड लाईसेंस शुल्क न बनवाने पर अथवा निरीक्षण में पकड़े जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ शुल्क वसूला जायेगा। विशेष परिस्थिति में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह माफ कर सकता है।

12–लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरों में 05 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसमें पालिका बोर्ड को दो तिहाई बहुमत से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा सहमति न होने की दशा में इसका विनिश्चय मताधिकार द्वारा होगा।

नोट–प्रशासन द्वारा बन्दी दिवस को दुकान बन्द करना अनिवार्य होगा। केवल जलपान, आवश्यक सेवा की दुकाने खुली रहेंगी।

सुलहनामा

यदि कोई दुकानदार नियमों के विरुद्ध होटल, दुकान आदि नगरपालिका परिषद सीमा के अन्दर रखता है तथा कानून के उल्लंघन पर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी करता है उसी समय यदि दोषी व्यक्ति सुलहनामा के लिये प्रार्थना-पत्र दे तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी शुल्क लेकर जो 1,000.00 रुपया से अधिक न होगा। लेकर सुलह कर सकता है।

दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पलिका परिषद गुरसरांय झांसी यह प्राविधान करती है कि इन उपनियमों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा रु0 1,000.00 का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। प्रथम दोष सिद्ध होने पर यदि

कोई उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिदिन के लिये जिनमें अपराध प्रमाणित हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन दण्ड लिया जा सकेगा। अर्थदण्ड की धनराशि न भुगतान करने पर कारावास से दण्डित होगा, जो 6 माह तक हो सकता है।

ट्रेड लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् है–

क्र0 सं0	मद का नाम	दर वार्षिक
1	2	3
		रु0
	होटल रेस्टोरेन्ट	
1	होटल लॉजिंग हाउस तथा गेस्ट हाउस 10 शंय्या तक/होटल ढावा	1,000.00
2	तीन सितारा होटल	5,000.00
3	पांच सितारा होटल	8,000.00
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	900.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड ऊपर रु0 50 प्रति बेड)	50 (प्रति बेड)
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	900.00
7	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	1,000.00
8	प्राईवेट अस्पताल	2,500.00
9	पैथालॉजी सेंटर	750.00
10	एक्सरे क्लीनिक	900.00
11	डेन्टल क्लीनिक	1,000.00
12	प्राईवेट क्लीनिक	1,000.00
	परिवहन	
13	आटो रिक्शा 2 सीटर	150.00
14	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	500.00
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	250.00
16	मिनी बस	1,000.00
17	बस	1,500.00
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	20.00
20	रिक्शा निजी चलित	25.00
21	ठेला/ठेली	20.00
22	हाथ ठेला	20.00
23	बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी	20.00
24	ट्राली	50.00
25	अन्य चार पाहियों के वाहन(व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	500.00
	अन्य व्सवसाय	
26	धुलाई गृह (लाण्ड्री)	250.00

1	2	3
		रु0
27	ड्राई क्लीनर	1,000.00
28	फाईनेन्स कम्पनी, चिट फंड	4,000.00
29	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	5,000.00
30	फाउन्डिंग, इन्जीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	1,500.00
31	पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	100.00 (प्रति पशु)
32	हड्डी खाल गोदाम	700.00
33	बार/बियर	10,000.00
34	आइस फैक्ट्री	2,000.00
35	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
36	देशी शराब (प्रति दुकान)	5,000.00
37	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	10,000.00
38	भैंसा मांस की दुकान	500.00
39	बकरा मांस की दुकान	1,000.00
	पशु पालन	
40	प्रति पशु	10.00
41	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
42	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरा आदि)	50.00
43	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय,भैंस,घोड़े,बकरा आदि)	100.00
44	स्कूटर, मोटर, साईकिल रिपेयर सेंन्टर	1,000.00
45	स्कूटर,तीन पाहिया रिपेयरिग शॉप	1,000.00
46	साइकिल पार्ट्स व साइकिल विक्रेता	5,000.00
47	साइकिल मरम्मत की दुकान	500.00
48	आटा चक्की, स्पेलर, धान मशीन आदि	1,000.00
49	गन्ना,कोल्हू आरा मशीन, धर्मकांटा	1,000.00
	पेट्रोलियम	
50	दुकान तेल मिट्टी 100 गैलेन तक	50.00
51	दुकान तेल मिट्टी 500 गैलेन तक	250.00
52	पेट्रोल पम्प ,डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	2,500.00
53	पेट्रोल पम्प ,डीजल पम्प थोक विक्रेता	5,000.00
54	जनरेटर डीजल प्रति नग	500.00
55	दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद	500.00
56	गोदाम कबाड़/गूदड़ आदि	1,000.00
57	कोयला भट्टी	1,000.00
58	जूता बनाने का कारखाना बड़ा	2,000.00
59	जूता बनाने का कारखाना छोटा	1,000.00

1	2	3
		रु0
60	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, टाइल, मारबल, ईटा, बालू, हार्डवेयर, सेनेटरी फुटकर	10,000.00
61	बिजली का सामान थोक विक्रेता	5,000.00
62	बिजली का सामान फुटकर विक्रेता	1,500.00
63	कपड़ा व्यापारी थोक विक्रेता	10,000.00
64	कपड़ा व्यापारी फुटकर विक्रेता	5,000.00
65	बेकरी भट्टी	1,000.00
66	बेकरी पावर	1,500.00
67	हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक कारीगर)	250.00
68	हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक से अधिक कारीगर)	1,000.00
69	कुकिंग गैस सिलेण्डर फिलिंग फुटकर विक्रेता	1,000.00
70	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,500.00
71	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	750.00
72	टेलरिंग हाउस(01 से 05 कर्मचारी तक)	500.00
73	टेलरिंग हाउस(05 कर्मचारी अधिक)	100.00 (प्रति कर्मचारी)
74	कोयला थोक विक्रेता	500.00
75	कोयला फुटकर विक्रेता	250.00
76	पेन्ट की दुकान	1,000.00
77	ज्वैलर्स बड़े(पांच लाख से अधिक से टर्नओवर)	15,000.00
78	ज्वैलर्स बड़े(एक लाख से पांच लाख टर्नओवर)	10,000.00
79	डेयरी फार्म	2,000.00
80	भूसा थोक विक्रेता	500.00
81	भूसा फुटकर विक्रेता	250.00
82	वी0डी0ओ0 लाईब्रेरी	500.00
83	केबिल टी0बी0	2,000.00
84	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड़,थोक विक्रेता	5,000.00
85	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड़,फुटकर विक्रेता	1,500.00
86	टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया से अधिक लागत)	10,000.00
87	टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया लागत तक)	5,000.00
88	पान की दुकान खोखा	100.00
89	चाय की दुकान पक्की	100.00
90	चाय की दुकान खोखा	50.00
91	मीठा, चाय, की दुकान पक्की बड़ी	5,000.00
92	किताबों के थोक विक्रेता	5,000.00
93	किताबों के फुटकर विक्रेता	2,500.00

1	2	3
		रु0
94	लकड़ी के टाल थोक विक्रेता	1,000.00
95	लकड़ी के फुटकर विक्रेता	500.00
96	रेडियों मैकेनिक	750.00
97	टी0वी0इलक्ट्रानिक की दुकान	5,000.00
98	मिठाई की दुकान	2,500.00
99	सब्जी/फल विक्रेता	150.00
100	मसाले फुटकर विक्रेता	500.00
101	मसाले थोक विक्रेता	2,500.00
102	फर्नीचर मरम्मत कर्ता	500.00
103	फर्नीचर विक्रेता	2,000.00
104	क्राकरी फुटकर विक्रेता	500.00
105	क्राकरी थोक विक्रेता	1,000.00
106	लाउडस्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)	250.00
107	लाउडस्पीकर किराये पर (पांच सेट से अधिक)	50.00 (प्रति लाउड स्पीकर)
108	खराद मशीन लकड़ी	2,500.00
109	आभूषण मरम्मत कर्ता	2,000.00
110	जूता, चप्पल मरम्मतकर्ता	50.00
111	सब स्टेशन (प्रति वर्गमीटर)	2,500.00 (प्रति वर्ग मीटर)
112	प्रिंटिंग प्रेस	500.00
113	ब्यूटी पार्लर	1,000.00
114	मोवाइल की दुकान	2,500.00
115	मोवाइल मरम्मत की दुकान	1,500.00
116	आटो पार्ट्स	5,000.00
117	फोटो कापी स्टैट	50.00
118	फोटो स्टूडियो	250.00
119	वाहन एजेन्सी दो पहिया	2,500.00
120	वाहन एजेन्सी चार पहिया	5,000.00
121	ट्रक वाहन	500.00
122	वाहन से प्रचार का लाइसेन्स शुल्क	100.00
123	पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम)	10,000.00
124	कोचिंग सेन्टर (हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट तक)	2,500.00
125	कोचिंग सेन्टर (प्रतियोगी परीक्षा)	5,000.00
126	विवाह घर	25,000.00
127	मोबाईल टावर (प्रति टावर)	10,000.00

पं0 देवेश कुमार पालीवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद् गुरसरांय,
झांसी।

कार्यालय, पंचायत नरपतनगर दून्दावाला, जनपद रामपुर

26 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 054/न0पं0न0दू0/2021-22–यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 1916 की धारा 298 (2) लिस्ट 1-ई-(वा) के साथ पठित उक्त ऐक्ट की धारा 298 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, नरपतनगर दून्दावाला, जिला रामपुर (उ0प्र0) में अपनी सीमा के अन्दर भवन मानचित्र स्वीकृति, मेला हाट/बाजार भूमि किराया, पेयजल कनेक्शन, पेयजल टैंकर शुल्क, सीमांकन प्रमाण-पत्र व अतिक्रमण दण्ड शुल्क की नियन्त्रित करने सम्बन्धित उपविधि बनाकर दो समाचार-पत्रों "अमर उजाला" में दिनांक 17 अगस्त, 2021 व विधान केसरी समाचार-पत्र में दिनांक 17 अगस्त, 2021 को प्रकाशित कराया गया तथा 15 दिवस के भीतर आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया। जिसमें एक आपत्ति प्राप्त हुई जिसका सक्षम अधिकारियों द्वारा निस्तारण आपत्तिकर्ता को सूचित किया गया तथा आपत्ति निस्तारित की गयी। निस्तारण उपरान्त निकाय के सीमान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृति, मेला, हाट/बाजार भूमि किराया, पेयजल कनेक्शन, पेयजल टैंकर शुल्क, सीमांकन प्रमाण-पत्र व अतिक्रमण दण्ड शुल्क को निकाय क्षेत्र में गजट प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी किया जायेगा।

साप्ताहिक बाजार बृहस्पतिवार भूमि किराया–

1–कपड़े की दुकान तथा कपड़े से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की दुकान	न्यूनतम दर रु0 60.00, अधिकतम रु0 3.00 (तीन रुपया प्रति वर्ग फिट
2–मछली प्रति दुकान	रु0 100.00 प्रति दुकान
3–सब्जी	रु0 40.00 प्रति फड़
तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि आम व अन्य फल	रु0 100.00 प्रति गाड़ी
4–परचूनी	रु0 50.00 प्रति फड़
5–किराना	रु0 50.00 प्रति फड़
6–मीट, मुर्गा, बकरी आदि	रु0 100.00 प्रति फड़
7–अन्य सामान किसी भी प्रकार के विक्रेता/ठेला विक्रेता से	रु0 40.00 न्यूनतम प्रति फड़

शहरी क्षेत्र में आने जाने वाले व्यवसायिक वाहन व पार्किंग करने वाले घरेलू व व्यवसायिक वाहनों से निम्न प्रकार शुल्क लिया जाये–

8–प्रत्येक मोटर, लारी, बस, ट्रक तथा अन्य	रु0 100.00 प्रति फेरा
9–मिनी बस/ट्रक मेटाडोर ट्रैक्टर/ट्राली	रु0 50.00 प्रति फेरा
10–टैक्सी/टैम्पो, विक्रम/ई-रिक्शा व पार्किंग	रु0 25.00 प्रति फेरा/प्रतिदिन
11–रिक्शा/तांगा	रु0 10.00 प्रति फेरा/प्रतिदिन

भवन मानचित्र स्वीकृति

12–घरेलू भवन	रु0 5.00 प्रति वर्ग फीट (प्रति तल)
13–व्यवसायिक भवन	रु010.00 प्रति वर्ग फीट (प्रति तल)

पेयजल कनेक्शन

14–घरेलू कनेक्शन	रु0 1,000.00 प्रति कनेक्शन शुल्क
15–व्यवसायिक कनेक्शन	रु0 2,000.00 प्रति कनेक्शन शुल्क
16–पेयजल शुल्क मासिक	रु0 50.00 प्रति माह प्रति कनेक्शन

पेयजल टैंकर शुल्क

17—शादी विवाह हेतु नगर क्षेत्र सीमा में निकाय के वाहन से	रु0 500.00 प्रति टैंकर/प्रतिदिन
18—अन्य कार्य हेतु नगर क्षेत्र सीमा में निकाय के वाहन से	रु0 1,000.00 प्रति टैंकर/प्रतिदिन
19—शादी विवाह/अन्य कार्यों हेतु नगर सीमा क्षेत्र से बाहर आवेदक के वाहन से	रु0 1,000.00 प्रति टैंकर/प्रतिदिन

सीमांकन प्रमाण-पत्र

20—सीमांकन प्रमाण-पत्र	रु0 1,000.00 प्रति प्रमाण-पत्र (अधिकतम 2 गाटा सं0 हेतु)

अतिक्रमण दण्ड शुल्क

21—सड़क पर अवैध रूप से कोई भी वाहन खड़ा कर अतिक्रमण करना मोटर वाहन, वाहन, कृषि उपकरण, भवन निर्माण सामग्री, अन्य उपकरण आदि	रु0 2,500.00 प्रति वाहन/प्रति आदि
22—दुकान/मकान/रिक्त स्थान के बाहर सार्वजनिक नाला-नाली व भूमि पर व उसके बाहर अवैध रूप से सामान रखना अनावश्यक रूप से रैम्प व छज्जा निकाल कर अतिक्रमण करना आदि	रु0 1,000.00 प्रति व्यक्ति/प्रति आदि
23—सार्वजनिक स्थान पर सड़क नाला-नाली रिक्त स्थान पर बिना अनुमति/भुगतान के फड़, रेड़ी, काउन्टर, ठेला, (स्थायी व अस्थायी) रिक्शा, तांगा, विक्रम/टैम्पो, ई-रिक्शा (घरेलू व व्यवसायिक)	रु0 500.00 प्रति व्यक्ति/प्रति आदि

शास्ति/कार्यवाही

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 भाग 25 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, नरपतनगर दून्दावाला (रामपुर, उ0प्र0 उपरोक्त वर्णित धनराशि का अदायगी न करने पर रु0 1,000.00 तक का जुर्माना कर सकती है। जुर्माना अदायगी न करने पर रु0 100.00 प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी व अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत, नरपतनगर दून्दावाला में निहित होगा। तत्पश्चात् दस दिन के बाद भी भुगतान न करने पर मा0 न्यायालय के माध्यम से ही वाद व्यय सहित भुगतान प्राप्त किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
प्रशासक,
नगर पंचायत नरपतनगर,
दून्दावाला (रामपुर)।

सूचना

मैं प्रशांत त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्र त्रिपाठी, निवासी घोडेडीह, घोडडीह, तहसील करछना, जनपद प्रयागराज मेरे घर में पुकारने का नाम प्रशांत त्रिपाठी है जो कि एल0आई0सी0 पालिसी संख्या 312581093 में दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य समस्त शैक्षणिक अभिलेखों एवं पहचान पत्रों में मेरा नाम देवांश त्रिपाठी दर्ज है। प्रशांत त्रिपाठी एवं देवांश एक ही व्यक्ति का नाम है। अतः मुझे भविष्य में मेरे सही नाम देवांश त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से ही लिखा पढ़ा व जाना जाये।

देवांश त्रिपाठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिखा बिल्डर्स पता-ग्राम व पोस्ट शिकोहपुर, तहसील व जिला बागपत-250611, उ0प्र0 की सप्लीमेंटरी डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 15 फरवरी, 2021 द्वारा फर्म साझेदार श्री गजेन्द्र सिंह व रमन सिंह तोमर सेवानिवृत्त हो गये हैं व नवीन साझीदार श्री राहुल तोमर व श्री राहुल धामा सम्मिलित हुये हैं।

राहुल धामा,
साझीदार,
मेसर्स शिखा बिल्डर्स।

सूचना

मेसर्स फर्म श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल्स नई बस्ती खुर्जा की भागीदार श्रीमती सुधा गुप्ता धर्म पत्नी विजेन्द्र कुमार गुप्ता, नि0 मौ0 गऊशाला के सामने, कालिज रोड नई बस्ती खुर्जा का कोरोना में दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को देहान्त हो चुका है।

अब फर्म में चार शेष भागीदार ही फर्म चलायेंगे। जो क्रमशः है–

(1) रविन्द्र कुमार गुप्ता, (2) श्रीमती ऊषा गुप्ता, (3) विजेन्द्र कुमार गुप्ता, (4) श्रीमती रिचा अग्रवाल।

विजेन्द्र कुमार गुप्ता,
भागीदार फर्म।

NOTICE

It is to be informed to general public that correct name of applicant is BIRENDRA SINGH S/o Late Ganga Charan R/o Vill. & PO–Bansa, District Hardoi (U. P.). Due to some mistake, name was mentioned in service book of applicant as BIRENDER SINGH instead of BIRENDRA SINGH. In future, applicant should be known as BIRENDRA SINGH.

BIRENDRA SINGH
S/o Late Ganga Charan,
R/o Vill & PO. Bansa, District Hardoi (U.P.).

सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के अभिलेखों में मेरा नाम प्रमिला पाण्डेय अंकित हो गया है जो गलत है। जबकि मेरा सही नाम प्रमिला त्रिपाठी है। भविष्य में मेरी पुत्री के समस्त अभिलेखों में मेरा शुद्ध नाम प्रमिला त्रिपाठी अंकित किया जाये व इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जाये।"

प्रमिला त्रिपाठी,
41/8 करेला बाग कालोनी, प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मैण्डू आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, मैण्डू, हाथरस, जिला हाथरस-204101 उ0प्र0 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

उक्त फर्म में श्रीमती शाहजहां पत्नी श्री हमीद खान, निवासी मैण्डू हाथरस, जिला हाथरस, श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री सीताराम वार्ष्णेय, निवासी मोहल्ला बोहरान, सासनी, जिला हाथरस एवं श्री देवेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री रामवीर उपाध्याय, निवासी ग्राम चन्दपा, पोस्ट मीतई, जिला हाथरस दिनांक 04 अगस्त, 2018 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में श्री राज वार्ष्णेय, श्री राकेश कुमार शर्मा, श्रीमती शाहजहां, श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय तथा श्री देवेन्द्र उपाध्याय भागीदार हो गये हैं।

राज वार्ष्णेय,
भागीदार,
मेसर्स मैण्डू आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज,
द्वारा-मैण्डू, हाथरस,
जिला हाथरस-204101 उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म इण्डिया इंजीनियरिंग, 160 डी गढ़ी कलां लीडर रोड, इलाहाबाद में मोहम्मद ईलियास हाशमी, शाहिदा बेगम, फात्मा रशीद उल वाहिदी के साझीदार दिनांक 27 मार्च, 2021 शाहिदा बेगम की मृत्यु हो जाने के कारण साझेदारी विलेख से अलग हो गई हैं। दिनांक 28 मार्च, 2021 को मोहम्मद जुहैब हाशमी को साझीदार के रूप में शामिल किया गया है। अब वर्तमान में मोहम्मद ईलियास हाशमी, मो0 जुहैब हाशमी, फात्मा रशीद उल वाहिदी उपरोक्त फर्म में कार्यरत हैं तथा फर्म का पता 160 डी गढ़ी कला लीडर रोड, इलाहाबाद की जगह वर्तमान में ई-30, जी0टी0बी0 नगर, करैली, प्रयागराज किया गया है। अब उक्त फर्म में तीन भागीदार हैं। फर्म के शेष तीनों भागीदारों की भागीदारी का अनुपात पूर्व की तरह बराबर होगा।

मो0 ईलियास हाशमी,
भागीदार,
ई-30, जी0टी0बी0 नगर, करैली, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–33 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।